

824

Supplementary and Final Report of the Joint Committee in the matter of Original Application No.101/2025; Pradeep Dahiya Versus Mines and Geology & Ors. Respondent(s) in compliance to the orders of Hon'ble NGT dated 04/04/2025 and 31/07/2025.

1.0. Background and the Directions of Hon'ble National Green Tribunal:

The present matter is related to an original application (OA), wherein the Applicant has alleged that the Respondent No. 5- M/s Choudhary Transport Company, **the project proponent has indulged in illegal mining in violation of environmental norms and in violation of the EC of conditions.**

The Joint Committee comprising of *representatives of the Member Secretary, CPCB, the Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board, Regional Office, MOEF&CC, Chandigarh and District Magistrates, Karnal and Saharanpur.* Constituted in the matter in compliance to the orders of Hon'ble NGT dated 04/04/2025 submitted progress report on 29/07/2025 (**Annexure-I**). The Joint Committee in its progress report filed on 29/07/2025 concluded the following points:

1. Extent of illegal mining on account of multiple entry/exit points.
2. Status of compliance of the conditions of Environmental Clearance granted to the project proponent.
3. Punitive and remedial measure taken and suggestions for remediation on the violations observed with regard to conditions of the Environmental Conditions.

A prayer was also made by the Joint Committee for the grant of 02 months' time by mentioning, as follows:

"However, the Joint Committee is yet to ascertain the extent of illegal mining beyond the lease area and the persons responsible for the same, as the details asked from concerned Mining Officers of UP and Haryana area including the cases of illegal mining reported to and by the mining department, are awaited.

The Joint Committee may also be required to get the satellite images from the Uttar Pradesh Remote Sensing Centre to ascertain the illegal mining activities beyond the lease area in the UP area and the persons responsible for the same."

Hon'ble NGT after considering the progress report of the Joint Committee observed and directed in its order dated 31/07/2025 (**Annexure-II**), as follows:

Para 06: Learned Counsel for the applicant has referred to paragraph 3.0.iii where joint committee has observed that EC given to the project proponent has expired on 09.05.2025 and has recommended expansion of the EC only after compliance of the conditions of previously granted EC.

Para 07: Learned Counsel for the applicant has also submitted that though the EC expired on 09.05.2025 but project proponent had continued the sand mining till 30.06.2025, therefore, he should not be allowed to indulge in illegal mining without proper clearances.

Para 08: Learned Counsel representing the State of Haryana has stated that unless the requisite clearances are given to the project proponent no mining will be permitted in violation of the law.

Para 09: List on 23.09.2025.

2.0. Supplementary report of the Joint Committee:-

A. The details with regard to illegal mining activities reported to and by the Mining Department, Haryana and UP in the lease area and the adjoining areas during last 05 years, to assess the extent of illegal mining happening in the area, were sought by the Joint Committee. The HSPCB has written letters and communications on the behalf of Joint Committee vide Regional Officer HSPCB letter no. HSPCB/KAR/2025/3789 dated 05.08.2025, HSPCB/KAR/2025/4066 dated 21.08.2025 & HSPCB/KAR/2025/4096 dated 25.08.2025 to seek relevant information from concerned agencies and departments, the following information was sought from Mining Officer, Mines and Geology Department, Karnal and Panipat, Haryana-

- a) Number of routes along with the entry-exit points approved for both the Mining sites.
- b) Number of routes along with the entry-exit points without weigh bridges for both the Mining site/projects mentioned above, if any.
- c) Cases of Illegal Mining in the adjacent/periphery areas of the Mining site/projects mentioned above.

Copy of the same is attached as **Annexure-III**

B. The Joint Committee examined the documents made available by the HSPCB with regard to illegal Mining beyond the mining lease and the finding are, as follows:

1. *Report from MO, UP, has been received on dated-25.07.2025 & 21.08.2025 (Annexure-IV) Wherein he has intimated that*
 - M/s Chaudhary Transport Company, Location: Chandraon, Garhpur Tapu & Kalsora, District Karnal, District Karnal, Haryana carried out illegal mining of approximately 9003.8 cubic meters of ordinary sand over an area of 6926 m² outside its approved mining lease area in the Yamuna upstream
 - M/s Chaudhary Transport Company, Location: Sand Mining Project, Villages Nangal North, Nangal South, Tatarpur & Kamalpur Gadian, District Karnal, Haryana, carried out illegal mining of approximately 14,828 m³ of ordinary sand outside its approved mining lease area in the Yamuna upstream.

2. Mining & Geology Department, Haryana, submitted an A.T.R. vide his office letter no. **Admn/PNP/KNL/4087 dated 05.09.2025**, where it is alleged that 49 nos. vehicles have been caught for *illegal mining/transportation of ordinary clay/sand and 25 nos. FIR Lodged against vehicle Owner & total fine of Rs. 16,67,960/- has been recovered in the nearby area of M/s Chaudhary Transport Company, Location: Sand Mining Project, Villages Nangal North, Nangal South, Tatarpur & Kamalpur Gadian, District Karnal, Haryana & M/s Chaudhary Transport Company, Location: Sand Mining Project, Villages Chandaraon Garhpur Tapu and Kalsoura District Karnal Haryana*. The A.T.R is attached herewith **(Annexure-V)**. As per report of Mining Department, Karnal, no illegal mining activities have been reported against M/s Chaudhary Transport Company.

3. *It was earlier informed by the Regional Officer, HPCB, Karnal that further action, would be taken on the receipt of replies or the expiry of the Show Cause Notices whichever is earlier."*
 - *The Regional Officer, HSPCB, Haryana informed that M/s Chaudhary Transport Company has submitted the reply (Annexure-VI), wherein it is mentioned that as per MoEF, notification 12.04.2022 "the validity of the*

Environmental Clearance for mining projects is to be reckoned from the date of execution of the mining lease agreement and not from the date of issuance of the EC.”

- *However, the examination of the documents by the Joint Committee indicates that the Environmental Clearance was granted to the project proponent M/s Chaudhary Transport Company for both the locations vide EC No.: SEIAA/HR/2023/392 dated 10.05.2024 and EC No. SEIAA/HR/2023/393 dated 10/05/2024 with validity of 01year upto 09/05/2025 with the condition that “This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal Forest Clearance (FC) under the provision of Forest Conservation Act, 1980, if applicable to the Project.”*
- *As reported in the earlier progress report of the Joint Committee, The project Proponent is using the forest land for approach road, for which forest clearance is yet to be obtained.*

Therefore, in view of the fact the Environmental clearance granted to the Unit, was non-operational at the time of executing the mining lease, in the absence of forest clearance, the mining lease of the Unit may not be considered valid in the absence of operational Environmental Clearance. Hence, the MoEF, notification 12.04.2022 referred above may be applicable to the Unit only if the environmental clearance granted to the Unit is operational. The Haryana State Pollution Control Board is required to consider all these aspects.

- C. It was reported in the progress report of the joint Committee that “The action by the Forest Department, Karnal is underway as reported by the Divisional Forest Officer, Karnal”.
- *Divisional Forest Officer (T), Karnal Forest Department, Haryana vide letter No. FCA/1423 dated 14/07/2025 (Annexure-VII) informed that “During field inspections conducted by the forest department, unauthorized use of forest land has been observed in connection with the approach access to the mining site operated by M/s Chaudhary Transport Company at Chandraon-Garhpur Tapu block and Naggal block, Distt. Karnal. The said usage has been made without obtaining prior approval under the Forest (Conservation) Act, 1980, which is mandatory for undertaking any*

non-forestry activities on forest land. Accordingly, Forest Offence reports bearing numbers 33/216 to 36/316 and 59/312 have been registered and notices have been issued. Legal proceedings shall be initiated after the demarcation”

- The Letter of DFO also mentions that *“any activity conducted on forest land prior to such approval is in direct violation of the Act.”*
- The DFO in the aforementioned letter has requested Regional Officer, HSPCB, Karnal that *necessary action may be taken for violating the Environmental Clearance clause B5 in accordance with the provision.*
- As per Letter No. FCA/1904 dated 19/09/2025 (**Annexure-VIII**) received from the Office of Divisional Forest officer (T), Karnal, the application of M/s Chaudhary Transport Company for Forest Clearance has been forwarded for in-principal approval to the State Secretary for recommendation through Add. Principal Chief Conservator of Forest-cum-Nodal Officer (FCA), Haryana, Panchkula on 17/09/2025.


The above facts indicate that the forest clearance is yet to be granted to M/s Chaudhary Transport Company and therefore, *all the non-forest activities carried out on forest land by the Unit are in violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and also in violation of the conditions of Environmental Clearances granted to the Unit.*


- D. The Satellite imagery requested by the Joint Committee for assessing the exact area under illegal mining and quantity of the material extracted illegally by the project proponent is yet to be made available to the Joint Committee.


3.0. Submission:


829


This is humbly submitted that the above supplementary report of the Joint Committee in addition to earlier Progress Report filed on 29/07/2025 may kindly be considered and taken on record by the Hon'ble NGT. The Joint Committee shall abide by further directions of Hon'ble NGT, in this matter.


Er. Kamaljit Singh, EE,
Regional Officer,
HSPCB, Karnal


Dr. Narender Sharma,
Scientist 'F', CPCB,
RD, Chandigarh


Dr. Dharmendra Kumar Gupta,
Director/Scientist F, MoEF&CC,
RO, Chandigarh


Asnok Kumar,
SDM, Indri, Karnal


Salil Kumar Patel,
ADM, Saharanpur, Uttar Pradesh

Date: 20.09.2025

Item No. 03

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No.101/2025

Pradeep Dahiya

Applicant

Versus

Mines and Geology & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 04.04.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Anil Kaushik, Senior Advocate with Ms. Pallavi Singh & Mr. Mustafa Sajad, Advs.

ORDER

1. In this original application (OA), the Applicant has alleged that the Respondent No. 5- M/s Choudhary Transport Company-the project proponent has indulged in illegal mining in violation of environmental norms and in violation of the EC of conditions. Learned counsel for the Applicant has pointed out that the specific condition no. 7 of EC dated 10.05.2024 (Annexure P-4) is as under:-

“xxx

xxx

xxx

7. *The PP shall provide only one exit and one entry to the Mining Project area and all the mining shall be dispatched through E-billing.”*

2. He has submitted that in terms of the above condition the project proponent was required to provide only one entry and one exit to the mining project area but in the mining project area there as many as 4 entries and exit points. In support of such submission, he has referred to the map on page 356 and the photographs filed as Annexure A1 from page 540 onwards. Referring to the photographs he has submitted that

there is Chandraon Road, Yamuna Nagar Road, Karsora Road and Tapu Road. He submits that only in Tapu Road there is a check point. In this regard, he has referred to the photographs on page 525. He submits that from the other entry exit roads the transportation of illegally mined sand is being done. He has also referred to the FIR filed as annexure A-2 to show that on account of the illegal mining by the Respondent-Project Proponent the flow of river Yamuna has been affected and the criminal proceedings have been initiated against the Respondent No. 5. He has submitted that Appeal No. 23/2025 has been filed by the Applicant challenging the EC but the present OA is confined to the violations of the conditions of EC.

3. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

4. Issue notice to the respondents for filing reply/response by way of affidavit at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

5. The Applicant is directed to serve the Respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

6. Considering the seriousness of the allegation, we also deem it proper to form a joint Committee comprising the representative of the Member Secretary, CPCB, the Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board, Regional Office, MOEF&CC, Chandigarh and District Magistrates, Karnal and Saharanpur. The District Magistrate Karnal will act as the Nodal Agency in the joint Committee. The joint Committee will visit the site, ascertain the extent of illegal extraction of sand by the

Respondent No. 5 and extent of violation of EC condition and also suggest punitive and remedial measures. The joint Committee will submit the report before the Tribunal within eight weeks.

7. List along with Appeal No. 23/2025 on 31.07.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

April 04, 2025
Original Application No.101/2025
A..

Item No. 15

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**Original Application 101/2025
(IA Nos. 360/2025 & 334/2025)

Pradeep Dahiya

Applicant

Versus

Department of Mines & Geology, Haryana & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 31.07.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Anil Kaushik, Senior Advocate with Ms. Pallavi Singh, Mr. Sidharth Venkatesh Singh Thakur & Mr. Mustafa Sajad, Advs. for Applicant

Respondents: Mr. Rahul Khurana, Adv. for R - 1 to 4 with Mr. Sandeep, Assistant, SEIAA
Mr. Gaurav Kumar Bansal, Ms. Nandita Bansal, Ms. Chandrika Upadhyaya & Ms. Atharva Upadhyay, Advs. for Project Proponent**ORDER**

1. In this Original Application (OA), applicant has alleged violation of Environmental Clearance (EC) condition by respondent/project proponent.
2. Tribunal by order dated 04.04.2025 had constituted a joint committee with a direction to the committee to visit the site, ascertain the extent of illegal extraction of sand by respondent no.5 and extent of violation of EC condition and suggest punitive and remedial measures.
3. Joint committee has filed the interim report dated 29.07.2025.
4. Learned Counsel for the parties are granted four weeks' time to file objection to the report of the joint committee.
5. Joint committee in the interim report has sought two months' time to file the detailed final report by mentioning as under:

“However, the Joint Committee is yet to ascertain the extent of illegal mining beyond the lease area and the persons responsible for the same, as the details asked from concerned Mining Officers of UP and Haryana area including the cases of illegal mining reported to and by the mining department, are awaited.

The Joint Committee may also be required to get the satellite images from the Uttar Pradesh Remote Sensing Centre to ascertain the illegal mining activities beyond the lease area in the U’P area and the persons responsible for the same

Therefore it is humbly requested to take the above project report of the Joint Committee with grant 02 months time to prepare and file the detailed final report The Joint Committee shall abide by the further orders of Hon’ble NGT in the matter.”

6. Learned Counsel for the applicant has referred to paragraph 3.0.iii where joint committee has observed that EC given to the project proponent has expired on 09.05.2025 and has recommended expansion of the EC only after compliance of the conditions of previously granted EC.

7. Learned Counsel for the applicant has also submitted that though the EC expired on 09.05.2025 but project proponent had continued the sand mining till 30.06.2025, therefore, he should not be allowed to indulge in illegal mining without proper clearances.

8. Learned Counsel representing the State of Haryana has stated that unless the requisite clearances are given to the project proponent no mining will be permitted in violation of the law.

9. List on 23.09.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

July 31, 2025
Original Application 101/2025
(IA Nos. 360/2025 & 334/2025)
JG.

No. HSPCB/KAR/2025/ 3789

Dated: 05/ 08 / 2025

To

Hon'ble National Green Tribunal Matter

The Mining Officer,
Department of Mines and Geology,
Karnal/Panipat.

Sub: Reports post the Joint Inspection in Hon'ble NGT Matter O.A. No. 101 of 2025 as per Order dated 04.04.2025.

Ref.:- Hon'ble NGT Order dated 31/07/2025 and 04.04.2025 in the matter of O.A. No. 101 of 2025 titled as Pardeep Dhaiya Versus Department of Mines and Geology, Haryana & Ors.



Apropos to the subject cited above, and in compliance with the directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench, New Delhi) in Original Application No. 101/2025 titled *Pardeep Dhaiya Vs Department of Mines and Geology, Haryana & Ors.*, joint inspections of the following two mining sites were conducted on 13.06.2025:

1. M/s Chaudhary Transport Company Chandraon Garhpur Tapur Sand mining Block Chandraon Garhpur Tapu Block at Villages Chandraon, Grahpur Tapu & Kalsora, District Karnal, Haryana.
2. M/s Chaudhary Transport Company Sand Mining Project at Nangal Block at Villages Nangal North, Nangal South, Tatarpur & Kamalpur Gadian, District Karnal, Haryana.

As discussed on phone also, you are again requested to furnish your comments and data on the following-

1. Number of routes along with the entry-exit points approved for both the Mining site/projects mentioned above
2. Number of routes along with the entry-exit points **without weigh bridges** for both the Mining site/projects mentioned above, if any.
3. **Details and Cases of Illegal Mining in the adjacent/periphery areas of the Mining site/projects mentioned above in the last 5 years**

Further it shall be ensured that as per Hon'ble NGT Order no illegal mining is carried out at both the sites and if need be the e-rawaana portal shall be closed/freeze.



You are requested to submit the requisite information to this office by 17:00 I.S.T of 18/8/2025 as the report has to be submitted to the Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench, New Delhi). **836**

This matter may be treated as **urgent and of high priority.**

Endst. No. HSPCB/KAR/2025/3790-98

Regional Officer
Karnal Region

Dt:- 05 / 08 / 2025

A copy of the above is forwarded to:-

1. The **Ld Chairman, HSPCB**, for kind information please. It is humbly requested that the matter may please be taken up with Director, Mines and Geology Department, Haryana to ensure that the information and comments are provided expeditiously.
 2. The Director, Mines and Geology Department, Haryana for kind information please.
 3. The **Deputy Commissioner, Karnal**, for kind information please
 4. The Superintendent of Police (SP) in charge of the Enforcement Bureau, Karnal with a request to direct the concerned officials to ensure that-
 - a. **As per Hon'ble NGT Order no illegal mining is carried out at both the sites**
 - b. **The list and details of Cases of Illegal Mining in the adjacent/periphery areas of the Mining site/projects mentioned above in the last 5 years is provided to this office by 17:00 I.S.T of 18/8/2025 as the report has to be submitted to the Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench, New Delhi).**
 5. The **Additional Deputy Commissioner, Karnal**, with a request to kindly issue necessary instructions to all concerned officers under your jurisdiction for timely submission of their reports.
 6. The Additional Deputy Commissioner/District Magistrate, Saharanpur, U.P. It is humbly requested that the Mines and Geology Department, , Saharanpur, U.P. , may please be instructed to provide list and details of Cases of Illegal Mining in the adjacent/periphery areas of the Mining site/projects mentioned above in the last 5 years is provided to this office by 17:00 I.S.T of 18/8/2025 as the report has to be submitted to the Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench, New Delhi)
 7. The Regional Director, MoEF&CC, Chandigarh Office for information please.
 8. The Regional Director, CPCB, Chandigarh Office for information and n/a please.
 9. **The SDM, Indli, Karnal.**
- DA: Hon'ble NGT order dated 04.04.2025.

Regional Officer
Karnal Region

Hon'ble National Green Tribunal Matter

No. HSPCB/KAR/2025/ 4066

Dated: 21 / 08 / 2025

To

The Mining Officer,
Department of Mines and Geology,
Karnal/Panipat.

Sub: Reports post the Joint Inspection in Hon'ble NGT Matter O.A. No. 101 of 2025 as per Order dated 04.04.2025.

Ref.:- Hon'ble NGT Order dated 31/07/2025 and 04.04.2025 in the matter of O.A. No. 101 of 2025 titled as Pardeep Dhaiya Versus Department of Mines and Geology, Haryana & Ors. and this office letter no. HSPCB/KAR/2025/3789-98 dt. 05.08.2025 and your good self office report dated 18.8.2025 .

Apropos to the subject cited above, and in compliance with the directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench, New Delhi) in Original Application No. 101/2025 titled *Pardeep Dhaiya Vs Department of Mines and Geology, Haryana & Ors.*, joint inspections of the following two mining sites were conducted on 13.06.2025:

1. M/s Chaudhary Transport Company Chandroan Garhpur Tapur Sand mining Block Chandraon Garhpur Tapu Block at Villages Chandraon, Grahpur Tapu & Kalsora, District Karnal, Haryana.
2. M/s Chaudhary Transport Company Sand Mining Project at Nangal Block at Villages Nangal North, Nangal South, Tatarpur & Kamalpur Gadian, District Karnal, Haryana.

As discussed on phone also, you are again requested to furnish your comments and data on the following-

1. Number of routes along with the entry-exit points approved for both the Mining site/projects mentioned above (Year wise break up data from last 5 years)
2. Number of routes along with the entry-exit points **without weigh bridges** for both the Mining site/projects mentioned above, if any (Year wise break up data from last 5 years)
3. **Details and Cases of Illegal Mining in the adjacent/periphery areas of the Mining site/projects mentioned above in the last 5 years .** (Year wise break up data from last 5 years)

Further it shall be ensured that as per Hon'ble NGT Order no illegal mining is carried out at both the sites and if need be the e-rawaana portal shall be closed/freeze.

You are again requested to submit the requisite information to this office by 17:00 I.S.T of 25.8.2025 as the report has to be submitted to the Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench, New Delhi).

This matter may be treated as **urgent and of high priority**.

Regional Officer
Karnal Region

Endst. No. HSPCB/KAR/2025/ 4067-74

Dt:-21/08/2025

A copy of the above is forwarded to:-

1. The **Ld Chairman, HSPCB**, for kind information please. It is humbly requested that the matter may please be taken up with Director, Mines and Geology Department, Haryana to ensure that the information and comments are provided expeditiously.
2. The Director, Mines and Geology Department, Haryana for kind information please.
3. The **Deputy Commissioner, Karnal**, for kind information please
4. The Superintendent of Police (SP) in charge of the Enforcement Bureau, Karnal with a request to direct the concerned officials to ensure that-
 - a. **As per Hon'ble NGT Order no illegal mining is carried out at both the sites**
 - b. **The list and details of Cases of Illegal Mining in the adjacent/periphery areas of the Mining site/projects mentioned above in the last 5 years is provided to this office by 17:00 I.S.T of 18/8/2025 as the report has to be submitted to the Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench, New Delhi).**
5. The **Additional Deputy Commissioner, Karnal**, with a request to kindly issue necessary instructions to all concerned officers under your jurisdiction for timely submission of their reports.
6. The **Additional Deputy Commissioner/District Magistrate, Saharanpur, U.P.** It is humbly requested that the Mines and Geology Department, , Saharanpur, U.P. ,may please be instructed to provide list and details of **Cases of Illegal Mining in the adjacent/periphery areas of the Mining site/projects mentioned above in the last 5 years is provided to this office by 17:00 I.S.T of 18/8/2025 as the report has to be submitted to the Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench, New Delhi)**
7. The Regional Director, MoEF&CC, Chandigarh Office for information please.
8. The Regional Director, CPCB, Chandigarh Office for information and n/a please.

DA: Hon'ble NGT order dated 04.04.2025 (Already sent).

Regional Officer
Karnal Region



Regional Office, Karnal Region
Haryana State Pollution Control Board
 2nd floor, SCO- 78-79 above Punjab National Bank, Namastey Chowk, Karnal
 Website - www.hspcb.org.in E-Mail Id- hspcbrokar@gmail.com



No. HSPCB/KAR/2025/ 4096
 To

Dated: 25 / 08 / 2025

The Sub Divisional Magistrate,
 Indri, Karnal.

Subject: REPORT POST THE JOINT INSPECTION IN HON'BLE NGT MATTER OA NO. 101 OF 2025 PARDEEP DAHIYA VERSUE STATE OF HARYANA AS PER ORDER DATED 04.04.2025.

Ref:- DC Office Letter Endst. No. 10124/MA dt. 04.06.2025.
 R/Sir,

In this connection, it is intimated that as per Joint Inspection in OA. No. 101 of 2025 on dated 13.06.2025, the joint committee required the following information from Mining Officer, Karnal i.e.:-

Sr. No.	Name of Mines	Year	Number of routes alongwith the entry-exit	Number of routes along with the entry-exit points without weigh bridges	Number of cases registered regarding illegal mining	Amount of fine imposed and collected
1	M/s Chaudhary Transport Company Chandroan Garhpur Tapu Sand mining Block Chandraon Garhpur Tapu Block at Villages Chandraon, Grahpur Tapu & Kalsora, District Karnal	2021				
		2022				
		2023				
		2024				
		2025				
2	M/s Chaudhary Transport Company Sand Mining Project at Nangal Block at Villages Nangal North, Nangal South, Tatarpur & Kamalpur Gadian, District Karnal	2021				
		2022				
		2023				
		2024				
		2025				

In view of the above, it is requested that Mining Officer, Karnal may be directed to submit the information in the above format, so that same may be appraised to the Joint Committee.

cc: Mining Officer, Karnal.

Regional Officer
 Karnal Region

कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर
(खनन अनुभाग)

Annexure-IV

पत्रांक 1537/ख0अनु0/2025-26
2025

दिनांक 21/08/2025

विषय:- Reports post the Joint Inspection in Hon'ble NGT Matter O.A. No. 101 of 2025 as per Order dated 04.04.2025.

क्षेत्रीय अधिकारी,
हरियाणा राज्य, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जिला करनाल।

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या HSPCB/KAR/2025/3989 दिनांक 05.08.2025, जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 101/2025 प्रदीप धात्या बनाम भूविज्ञान विभाग हरियाणा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.06.2025 के अनुपालन में मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी चन्द्राव गढपुर टापर सैण्ड माईनिंग ब्लॉक चन्द्राव गढपुर टापू ब्लॉक ग्राम चन्द्राव गढपुर टापू, कलसोरा जिला करनाल हरियाणा तथा मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी सैण्ड माईनिंग प्रोजेक्ट नागल ब्लॉक ग्राम नागल नॉर्थ, नागल साउथ, ततारपुर खुर्द व कमालपुर गान्धियाह जिला करनाल हरियाणा के खनन स्थल/परियोजना के निकटवर्ती/परीधीन क्षेत्रों में पिछले 05 वर्षों अवैध खनन के मामले की सूची एवं विवरण उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	खनन स्थल	वांछित सूचना
1	M/S Choudhary Transport Company Chandrao Garhpur Tapur Sand mining Block Chandraon Garhpur Tapu Block at villages Chandrao, Gahrpur Tapu & Kalsora, District Karnal, Haryana.	मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी चन्द्राव-गढपुर टापर ब्लॉक (ग्राम चन्द्राव, गढपुर टापर कलसोरा) खनन क्षेत्र/परियोजना के समीप श्री सुभाष व अन्य ग्रामीण निवासी ग्राम डालामाजरा तहसील नकुड जिला सहारनपुर के शिकायती पत्र दिनांक 04.04.2025 के माध्यम से यमुना नदी में अवैध खनन का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड स्थित ग्राम डालामाजरा के समीप हरियाणा वाले यमुना में खनन का कार्य बड़ी जोरों शोरों से 100 डम्पर 10 जे0सी0बी0 की मदद से दिन-रात कर रहे हैं। यह खनन दिक्षीत वार्ड के तहत यू0पी0 में डालामाजरा जमालाबाद मानी मजरा में हो रहा है। पूरी यमुना नदी में खनन हरियाणा वालों का यु0पी0 में हो रहा है।" उपरोक्त शिकायती पत्र दिनांक 04.04.2025 का संज्ञान लेते हुये, जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर द्वारा पत्र संख्या 114/शिकायत सहायक (जनसुनवाई) /2025-26 दिनांक 05.04.2025 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु समिति का गठन किया गया है। समिति की आख्या दिनांक 16.04.2025 को प्राप्त हुई जिसमें यमुना नदी की जलधारा तीव्र एवं पानी अधिक होने के कारण पैमाईश किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।
2	M/S Choudhary Transport Company Sand mining project at Nangal Block at villages Nangal North, Nangal South, Tatarpur & Kamalpur Gandiah, District Karnal Haryana.	मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी नागल ब्लॉक ग्राम नागल नॉर्थ, नागल साऊथ, ततारपुर व कमालपुर गडियान, खनन क्षेत्र/परियोजना के समीप यमुना नदी में अवैध खनन सम्बन्धी मौखिक शिकायतों एवं आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें शिकायतकर्ताओं द्वारा तहसील नकुड स्थित ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में उपखनिज के अवैध खनन किये जाने की शिकायत की गयी

थी, जिसके सम्बन्ध में मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी नागल ब्लॉक ग्राम नागल तथा ततारपुर खुर्द व कमालपुर से सटे हुये जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड स्थित ग्राम नागल राजपूत व ततारपुर खुर्द में यमुना नदी में हुये अवैध खनन स्थल का निरीक्षण मै० चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मौके पर उपस्थित प्रतिनिधि श्री कुलदीप पुत्र श्री हुकम सिंह नि० बामनौली जनपद यमुना नगर हरियाणा की उपस्थिति में जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि पटटाघारक द्वारा उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने वाले दीक्षित अवार्ड पिलर्स के पार उ०प्र० राज्य के जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड स्थित ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में यमुना नदी की जलधारा में 14,828 घ०मी० का अवैध खनन किया गया है। उपखनिज का अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के विरुद्ध थाना गंगोह में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

खान अधिकारी
सहारनपुर।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली, के ओ0ए0 संख्या 11/2025 प्रदीप दाहिया बनाम डिपार्टमेंट ऑफ माईन्स एण्ड जियोलॉजी हरियाणा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के क्रम में गठित समिति को 02 खनन स्थलों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर प्रतिवादी द्वारा किये गये अवैध खनन एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 13.06.2025 को हरियाणा राज्य के करनाल जिले में मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्रों को स्थलीय निरीक्षण पट्टाधारक के मौके पर उपस्थित प्रतिनिधि श्री मंदीप सिंह की उपस्थिति में किया गया, जिसकी आख्या निम्नवत् है:-

1. **मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी चन्द्रराव गढपुर टापर सैण्ड माईनिंग ब्लॉक चन्द्रराव गढपुर टापू एण्ड कलसोरा जिला करनाल हरियाणा:-** दिनांक 13.06.2025 को समिति के सदस्यों द्वारा उक्त क्षेत्र में पहुँचकर पट्टा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ अपने स्थान में लगे पाये गए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर सहमति पत्र (LOI) में प्रदर्शित जियो कॉर्डिनेट्स/सीमा स्तम्भ A1 व A3 के बाहर यमुना नदी (Upstream) की जलधारा में उपखनिज साधारण बालू का अवैध खनन किया गया है। उक्त अवैध खनन स्थल की पैमाईश की गई, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

पिट	जियो-कॉर्डिनेट्स		औसत गहराई (मी0 में)	क्षेत्रफल (व0मी0 में)	मात्रा (घ0मी0 में)	
1	A	29° 53' 50.44" E	77° 11' 14.92" N	1.3	6926	9003.8
	B	29° 53' 48.45" E	77° 11' 13.90" N			
	C	29° 53' 47.99" E	77° 11' 11.55" N			
	D	29° 53' 45.37" E	77° 11' 12.23" N			
	E	29° 53' 48.03" E	77° 11' 15.71" N			

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर यमुना नदी की जल धारा में 6926 वर्गमीटर क्षेत्रफल में औसतन 1.30 मीटर गहराई से कुल 9003.80 घ0मी0 उपखनिज का खनन अवैध तरीके से किया जाना पाया गया। (संलग्नक-1, 2)

उक्त के अतिरिक्त प्रार्थीगण श्री सुभाष, सचिन, विपिन आदि निवासीगण डालामाजरा द्वारा दिनांक 04.04.2025 द्वारा जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका संज्ञान लेते हुये जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 05.04.2025 द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सहारनपुर, उपजिलाधिकारी नकुड़, खान अधिकारी, सहारनपुर, समिति का गठन करते हुये जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। गठित समिति के सदस्यों द्वारा शिकायती स्थल की दिनांक 16.04.2025 को जांच की गई जिसमें उल्लेख किया गया है कि यमुना नदी की प्रभावित जलधारा में खनन होना पाया गया परन्तु यमुना नदी की जलधारा तीव्र एवं पानी अधिक होने के कारण पैमाईश किया जाना संभव नहीं हो पाया। (संलग्नक-3, 4, 5)

2. **मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी सैण्ड माईनिंग प्रोजेक्ट नागल ब्लॉक ग्राम उत्तरी नागल, दक्षिणी नागल, ततारपुर एण्ड कमालपुर गडिया, जिला करनाल हरियाणा:-** दिनांक 13.06.2025 को समिति के सदस्यों द्वारा उक्त क्षेत्र में पहुँचकर पट्टा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। (संलग्नक-6) निरीक्षण के दौरान, पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ अपने स्थान में लगे पाये गए। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप दाहिया द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को प्रस्तुत ओरिजिनल एप्लीकेशन के बिन्दु संख्या 5 में पट्टाधारक द्वारा किये गये अवैध खनन एवं पट्टाधारक के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का संज्ञान लेते हुये, उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी अवैध तरीके से उपखनिज साधारण बालू का अवैध खनन किया गया है। अवैध खनन स्थल से मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी को स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की ओर जाने का कच्चा रास्ता भी बनाया हुआ पाया गया। इस प्रकार मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी सैण्ड माईनिंग प्रोजेक्ट नागल ब्लॉक ग्राम उत्तरी नागल, दक्षिणी नागल ततारपुर एण्ड कमालपुर गडिया जिला करनाल हरियाणा के विरुद्ध उनके द्वारा किये गये अवैध खनन की मात्रा (14,828 घ0मी0) के क्रम में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (संलग्नक-7) भी सही पाई गई, जिनके पश्चात् कार्यालय के पत्र संख्या 45/खनन/नोटिस-2025-26 दिनांक 04.04.2025 (संलग्नक-8) द्वारा मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी से अवैध खनन की मात्रा 14,828 घ0मी0 के सापेक्ष जुर्मानास्वरूप धनराशि रू0 62,82,920/- का ड्राफ्ट जिलाधिकारी सहारनपुर के नाम से बनवकार उपलब्ध

कराने हेतु जिला कलेक्टर/उपायुक्त करनाल, हरियाणा को पत्र प्रेषित किया गया। परन्तु मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा न तो उक्त धनराशि को उ०प्र० राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया गया और न ही उक्त धनराशि का ड्राफ्ट कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, जिस कारण कार्यालय के पत्र संख्या 780/ख०अनु०/अवैध खनन/2025-26 दिनांक 16.06.2025 (संलग्नक-9) द्वारा उक्त धनराशि को जमा कराने हेतु आदेश निर्गत किये गए।

उक्त अतिरिक्त अवगत कराना है कि ऑनलाइन आई०जी०आर०एस० संख्या-20013225003834, 20013225003820, 200013225003822, 40013225007410, 40013225007283, 40013225007285, 40013225007270, 40013225007172, 40013225007174, 400013225007166, 40013225007164, 40013225007160, 40013225007171, 40013225007162, 40013225007163, 40013225007168, 40013225007168 के माध्यम से ग्राम ततारपुर खुर्द यमुना नदी में अवैध खनन संबंधी कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुईं (संलग्नक-10) जिनका संज्ञान लेत हुये पुलिस विभाग, खनन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 29.03.2025 को संयुक्त जांच की गयी। जांच के दौरान कुल 14828 घ०मी० साधारण बालू का अवैध खनन होना पाया गया जिसके सम्बन्ध में दिनांक 30.03.2025 को थाना गंगोह में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी।

मै० मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, सिद्धांत रन्धावा द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रिमिनल मिस. रिट पिटिशन संख्या-10416/2025 दायर कर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। (संलग्नक-11)

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।



 **GPS Map Camera**




Google

Dala Mazra, null, India
Dala Mazra, India
Lat 29.89721°
Long 77.184851°
13/06/25 12:22 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Google

null, Uttar Pradesh, India
Unnamed Road, Uttar Pradesh 247342, India
Lat 29.897026°
Long 77.189284°
13/06/25 12:33 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Dala Mazra, null, India
Dala Mazra, India
Lat 29.89721°
Long 77.184851°
13/06/25 12:23 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Dala Mazra, null, India
Dala Mazra, India
Lat 29.89721°
Long 77.184851°
13/06/25 12:23 PM GMT +05:30










संलग्नक - 2



सेवा में

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
जनपद सहारनपुर।

विषय-खनन विभाग के सम्बंध में।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि गांव डालामाजरा तहसील नकुड में है गांव डाला मजरा जमालाबाद मानी मजरा समुना के पास से लगे हुए गांव है जो कि हरियाणा वाले यमुना में खनन का कार्य बड़ी जोरो शोरो से 100 डम्फर 10 जै0पी0सी0 दिन रात चल रही है यह खनन दिक्षित वार्ड के तहत यूपि में डालामजरा जमालाबाद मानी मजरा में हो रहा है पूरी यमुना नदी में खानन हरियाणा वालो का यूपि में हो रहा है 2 3 बार गांव वाले रोकने पहुँचे तो लाठी डंडो से हमला करने के लिए आये।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि यूपि में जो हरियाणा वाले खनन कर रहे है उनसे आने वाले टाईम में कटाव के द्वारा हमारी फसल उगाने वाली जमीन जमना में गिर जायेगी जिससे खेत खलियान यमुना नदी द्वारा राकने से बच सकता है। यह कि उपरोक्त हरियाणा लोगो को यूपि यमुना जमना में खनन से राके जाने का तुरन्त कष्ट करे। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक 04/04/2025

चन्द्रकान्त

आमपाल सिंह

विपिन

बिरेन्द्रासिंह

प्रार्थीगण


संभाव 9758619:

वसुधायन
आमपाल

ADM (FIR)
SDM (N)
M.O

लौच करके 05दिन में डाला मजरा
कामादी करके जाला दे

4/4/25



कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर।

दूरभाष : 0132-2726838, फ़ैक्स : 0132-2715648, ई-मेल : dmsah@nic.in

संख्या: 114 / शिकायत सहायक(जनसुनवाई) / 2025-26

दिनांक : 05 अप्रैल, 2025

- 1)- अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर।
- 2)- उप जिलाधिकारी, नकुड़।
- 3)- खान अधिकारी, सहारनपुर।

समस्त ग्रामीण ग्राम डालामाजरा तहसील नकुड़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि ग्राम डालामजरा, जमालाबाद एवं मानी मजरा यमुना के पास से लगे हुए गाँव है जिसमें हरियाणा राज्य के व्यक्तियों द्वारा में बड़ी मात्रा में खनन कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 डम्पर एवं 10 जेसीबी मशीनों द्वारा लगातार दिन रात कार्य किया जा रहा है। उक्त खनन से भूमि के कटाव होने के कारण फसल क्षतिग्रस्त होना सम्भावित है। हरियाणा राज्य के व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में किये जा रहे खनन को रोके जाने की मांग की गयी है।

अतः उक्त सन्दर्भित प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संयुक्त रूप से अंकित तथ्यों का स्थलीय जाँच करते हुए 03 दिन के भीतर अपनी तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि,

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

- 1 - KDMER/K, 35/4/25
- 2 - SDM - (W) S, 5/2/25 (1)
- 3 - MO, 05/04/25

संयुक्त निरीक्षण आख्या


जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

कृपया अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या-114/शिकायत सहायक/(जनसुनवाई)/2025-26 दिनांक 05.04.2025 तथा विशेष प्रकोष्ठ संदर्भ संख्या-424 दिनांक 08.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त ग्रामीण ग्राम डालामाजरा तहसील नकुड़ के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की संयुक्त रूप से स्थलीय जांच कर 03 दिन के भीतर अपनी तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।


उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 16.04.2025 को राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा प्रार्थी सुभाष एवं अन्य ग्रामीण की उपस्थिति में डालामाजरा, जमालाबाद एवं मानी माजरा एवं यमुना समीपवर्ती क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताये गये स्थल पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश-हरियाणा राज्य की सीमा को निर्धारित करने वाली दीक्षित अवार्ड लाईन के जियोकोर्डिनेट्स को गूगल अर्थ पर प्लॉट करने पर पाया गया, पिलर संख्या-N-54, N-56, N-58, N-60, N-62 के समीप में खनन किया गया है। चूंकि उक्त खनन स्थल के समीप ही हरियाणा राज्य के करनाल जिले के ग्राम चन्द्रांव में मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पक्ष में पट्टा स्वीकृत किया गया है जोकि वर्तमान में संचालित है। प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पट्टाधारक द्वारा ही अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर यमुना नदी की जलधारा में बड़ी मशीनों की सहायता से अवैध खनन किया गया है। वर्तमान में प्रभाहित यमुना नदी में जलधारा में जोकि राजस्व अभिलेखानुसार उत्तर प्रदेश राज्य के ग्राम डालामाजरा में आती है, में खनन किया गया है जिसकी पुष्टि यमुना नदी की प्रभाहित जलधारा में सा0 बालू के उठे हुए चिन्हों/ढेरों से हो रही है। परन्तु यमुना नदी की जलधारा तीव्र एवं पानी अधिक होने के कारण पैमाईश किया जाना संभव नहीं हो पाया।


संलग्नक:-1. मौके के फोटोग्राफ्स।

2. फर्म के पक्ष में स्वीकृत सहमति पत्र।


खान निरीक्षक
सहारनपुर।


खान अधिकारी
सहारनपुर।


उप जिलाधिकारी
नकुड़।


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
बेहट



GPS Map
Camera Lite

Unnamed Road, Uttar Pradesh 247342, India

Latitude
29° 53' 42.91868" N

Longitude
77° 11' 22.04948" E

Local 02:51:55 PM
GMT 09:21:55 AM

Altitude 256 meters
Wednesday, 16.04.2025



GPS Map
Camera Lite

Unnamed Road, Uttar Pradesh 247342, India

Latitude
29° 53' 43.08662" N

Longitude
77° 11' 22.11677" E

Local 02:49:34 PM
GMT 09:19:34 AM

Altitude 256 meters
Wednesday, 16.04.2025



GPS Map
Camera Lite


Unnamed Road, Uttar Pradesh 247342, India

Latitude
29° 53' 43.08569" N

Longitude
77° 11' 22.115" E


Local 02:49:28 PM
GMT 09:19:28 AM

Altitude 256 meters
Wednesday, 16.04.2025




GPS Map
Camera Lite

Unnamed Road, Uttar Pradesh 247342, India
 Latitude 29° 53' 43.11906" N Longitude 77° 11' 22.12159" E
 Local 02:49:41 PM Altitude 256 meters



GPS Map
Camera Lite

Unnamed Road, Uttar Pradesh 247342, India
 Latitude 29° 53' 43.1308" N Longitude 77° 11' 22.1212" E
 Local 02:49:43 PM Altitude 256 meters
 GMT 09:19:43 AM Wednesday, 16.04.2025



श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय
थाना गंगोह।

856

सलग्नक -7

पत्रांक 3172/ख0अनु0/एफ0आई0आर0/2024-25

दिनांक 29/03/2025

विषय:-तहसील नकुड स्थित ग्राम ततारपुर व नागल राजपूत की सीमा में अवैध खनन करने हेतु मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट द्वारा श्री सिद्धान्त रन्धावा पता-112, ग्राउण्ड फ्लोर, सन्तपुरा रोड, मॉडल टाउन, यमुनानगर हरियाणा के मालिकों एवं खदान संचालकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम खण्डलाना, राजस्व निरीक्षक गंगोह, नायब तहसीलदार नकुड, प्रभारी निरीक्षक गंगोह, खान निरीक्षक सहारनपुर, तहसीलदार नकुड, क्षेत्राधिकारी गंगोह, खान अधिकारी सहारनपुर एवं उप जिलाधिकारी नकुड की संयुक्त जांच आख्या दिनांक 29.03.2025 (संलग्नक) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि:-

सोशल मीडिया पर वायरल अवैध खनन की फोटोग्राफ्स का संज्ञान लेते हुए खनन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 29.03.2025 को तहसील नकुड स्थित ग्राम ततारपुर व नागल राजपूत की सीमा पर यमुना नदी का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पट्टाधारक के प्रतिनिधि कुलदीप द्वारा उपलब्ध कराये गये एल0ओ0आई0 में प्रदर्शित गूगल जियो कॉर्डिनेट की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा उनके पक्ष में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर उत्तर प्रदेश राज्य के तहसील नकुड के ग्राम ततारपुर व नागल राजपूत की सीमा में यमुना नदी के अन्दर नदी की जल धारा को रोक कर रेत का अवैध खनन किया गया है।


उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मौके पर दीक्षित अर्वाड के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने वाले सीमा स्तम्भों की भी जियो कॉर्डिनेट्स के आधार पर जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र एवं सीमा निर्धारित करने वाले दीक्षित अर्वाड लाईन के सीमा स्तम्भों को पार करते हुये तहसील नकुड के ग्राम ततारपुर व नागल राजपूत की सीमा में यमुना नदी की जल धारा में कुल 7414 वर्गमीटर से औसतन 02 मीटर की गहराई से कुल 14,828 घ0मी0 साधारण बालू/रेत का अवैध खनन किया गया है।

उपरोक्त आख्या से प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि साधारण बालू/रेत खननपट्टा मालिकों एवं खदान संचालकों व अन्य संलिप्त व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के उपखनिज साधारण बालू/रेत का चोरी से उ0प्र0 राज्य की सीमा के अन्दर यमुना नदी तल में जलधारा को रोककर अवैध खनन कर परिवहन करवाकर धन अर्जित किया गया है एवं उ0प्र0 राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व को क्षति पहुँचाने के साथ-साथ उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम-3, 58 व 72 एवं खान एवं विकास खनिज अधिनियम-1957 की धारा 4/21 व भा0न्या0सं0 की चोरी की धारा एवं सरकारी सम्पत्ति निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिकों एवं खदान संचालकों व अन्य संलिप्त अज्ञात अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम-3, 58 व 72 एवं खान एवं विकास खनिज अधिनियम-1957 की धारा 4/21 व भा0न्या0सं0 की चोरी की धारा एवं सरकारी सम्पत्ति निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- संयुक्त जांच आख्या दिनांक 29.03.2025 की छायाप्रति।

मौके के फोटोग्राफ्स।


29/03/25

(अभिलाष चौधरी)

खान निरीक्षक

पता-खनन विभाग

जिलाधिकारी कार्यालय

सहारनपुर।

मो:-9074010920

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

सेवा में,

जिला कलैक्टर/उपायुक्त
करनाल, हरियाणा।

पत्रांक 45 / खनन/नोटिस-2025-26

दिनांक 04/04, 2025

विषय:-तहसील नकुड़ के ग्राम ततारपुर खुर्द एवं नागल राजपूत में किये गये अवैध खनन के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि राजस्व विभाग व खनन विभाग की आख्या दिनांक 29.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि 'तहसील नकुड़ जनपद सहारनपुर के ग्राम ततारपुर खुर्द एवं नागल राजपूत में यमुना के समीप हरियाणा राज्य की ओर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा श्री सिद्धान्त रन्धावा पता-112, ग्राउण्ड फ्लोर, सन्तपुरा रोड, मॉडल टाउन, यमुनानगर हरियाणा के पक्ष में उपखनिज साधारण बालू के स्वीकृत खनन पट्टे का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29.03.2025 को पट्टाधारक के प्रतिनिधि श्री कुलदीप पुत्र श्री हुकम सिंह निवासी ग्राम बामनौली जनपद यमुनानगर हरियाणा व अन्य ततारपुर, बल्लामाजरा, बेगीनाजर के ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया।

निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक द्वारा जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ के ग्राम ततारपुर खुर्द एवं ग्राम नागल राजपूत की सीमा में यमुना नदी के अन्दर नदी की जलधारा को रोककर कुल 14,828 घ0मी0 उपखनिज रेत का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। उ0प्र0 राज्य की सीमा में अवैध खनन पाये जाने पर पट्टेधारक मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा श्री सिद्धान्त रन्धावा पता-112, ग्राउण्ड फ्लोर, सन्तपुरा रोड, मॉडल टाउन, यमुनानगर हरियाणा के विरुद्ध थाना गंगोह में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा श्री सिद्धान्त रन्धावा पता-112, ग्राउण्ड फ्लोर, सन्तपुरा रोड, मॉडल टाउन, यमुनानगर हरियाणा द्वारा किये गये अवैध खनन की कुल मात्रा 14,828 पर देय रायल्टी रू0 रू0 9,63,820/- खनिमुख मुल्य रू0 48,19,100/- तथा अवैध खनन हेतु जुर्माना स्वरूप धनराशि रू0 5,00,000/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 62,82,920/- की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी सहारनपुर के नाम से बनवाकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, माईन्स एण्ड जियोलॉजी विभाग, सेक्टर-17 सेक्टर चण्डीगढ़ हरियाणा।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, खनिज भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित प्रदेश के निदेशक, माईन्स एण्ड जियोलॉजी को उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, माईन्स एण्ड जियोलॉजी हरियाणा, प्लॉट नं0-9, आई0टी0 पार्क सेक्टर-22 पचकुंला।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश की सीमा में तहसील नकुड़ के ग्राम ततारपुर खुर्द व नागल राजपूत में खनन कार्य को रोके जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. थानाध्यक्ष गंगोह को निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित कर लें कि जांच होने तक उ0प्र0 राज्य की सीमा के अन्दर कहीं भी अवैध खनन ना होने पाए।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

पत्रांक 790 / ख0अनु0 / अवैध खनन / 2025-26

आदेश

दिनांक 16/06/2025

कृपया अवगत कराना है कि राजस्व विभाग व खनन विभाग की आख्या दिनांक 29.03.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि "तहसील नकुड़ जनपद सहारनपुर के ग्राम ततारपुर खुर्द एवं नागल राजपूत में यमुना के समीप हरियाणा राज्य की ओर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा श्री सिद्धान्त रन्धावा पता-112, ग्राउण्ड फ्लोर, सन्तपुरा रोड, मॉडल टाउन, यमुनानगर हरियाणा के पक्ष में उपखनिज साधारण बालू के स्वीकृत खनन पट्टे का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29.03.2025 को पट्टाधारक के प्रतिनिधि श्री कुलदीप पुत्र श्री हुकम सिंह निवासी ग्राम बामनौली जनपद यमुनानगर हरियाणा व अन्य ततारपुर, बल्लामाजरा, बेगीनाजर के ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया।

निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक द्वारा जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ के ग्राम ततारपुर खुर्द एवं ग्राम नागल राजपूत की सीमा में यमुना नदी के अन्दर नदी की जलधारा को रोककर कुल 14,828 घ0मी0 उपखनिज रेत का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। उ0प्र0 राज्य की सीमा में अवैध खनन पाये जाने पर पट्टेधारक मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा श्री सिद्धान्त रन्धावा पता-112, ग्राउण्ड फ्लोर, सन्तपुरा रोड, मॉडल टाउन, यमुनानगर हरियाणा के विरुद्ध थाना गंगोह में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि कार्यालय के पत्र संख्या 3155/खनन/जांच-2024-25 दिनांक 28.03.2025 द्वारा ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द अहतमाल के समीप उ0प्र0 राज्य व हरियाणा राज्य की सीमा को चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में जांच हेतु समिति का गठन कर तिथि निर्धारण की सूचना उपलब्ध कराने हेतु जिला कलेक्टर/उपायुक्त महोदय यमुनानगर हरियाणा को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल, नायब तहसीलदार, प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह, खान निरीक्षक सहारनपुर, तहसीलदार नकुड़, क्षेत्राधिकारी गंगोह, खान अधिकारी सहारनपुर, उपजिलाधिकारी नकुड़ एवं हरियाणा राज्य के जिला करनाल की तहसील इन्द्री में स्वीकृत साधारण बालू के खनन पट्टा मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रतिनिधि श्री कुलदीप पुत्र श्री हुकम सिंह नि0 बामनौली जनपद यमुना नगर हरियाणा व अन्य ग्राम ततारपुर बल्लामाजरा, बेगीनाजर के ग्रामीणों की उपस्थिति में दिनांक 29.03.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा उ0प्र0 की सीमा में उपरोक्त क्षेत्र से 14,828 घ0मी0 उपखनिज का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या 45/खनन/नोटिस-2025-26 दिनांक 04.04.2025 द्वारा अवैध खनन की कुल मात्रा 14,828 पर देय रायल्टी रू0 रू0 9,63,820/- खनिमुख मुल्य रू0 48,19,100/- तथा अवैध खनन हेतु जुर्माना स्वरूप धनराशि रू0 5,00,000/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 62,82,920/- की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी सहारनपुर के नाम से बनवाकर उपलब्ध कराने हेतु जिला कलेक्टर/उपायुक्त महोदय करनाल हरियाणा को पत्र प्रेषित किया गया। परन्तु मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा न तो उक्त धनराशि को उ0प्र0 राज्य सरकार के सरकारी कोष में जमा कराया गया और न ही उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा श्री सिद्धान्त रन्धावा पता-112, ग्राउण्ड फ्लोर, सन्तपुरा रोड, मॉडल टाउन, यमुनानगर हरियाणा को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अवैध खनन की कुल मात्रा 14,828 पर देय रायल्टी रू0 रू0 9,63,820/- खनिमुख मुल्य रू0 48,19,100/- तथा अवैध खनन हेतु जुर्माना स्वरूप धनराशि रू0 5,00,000/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 62,82,920/ (रू0 बासठ लाख बियासी हजार नौ सौ बीस मात्र) को सरकारी कोष में जमा करने अथवा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी सहारनपुर के नाम से बनवाकर 30 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार वसूली मांगपत्र निर्गत कर बकाया धनराशि वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय



(मनीष बंसल)

जिलाधिकारी

सहारनपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, माईन्स एण्ड जियोलॉजी विभाग, सेक्टर-17 सेक्ट्रेट चण्डीगढ़ हरियाणा।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, खनिज भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित प्रदेश के निदेशक, माईन्स एण्ड जियोलॉजी को उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, माईन्स एण्ड जियोलॉजी हरियाणा, प्लॉट नं0-9, आई0टी0 पार्क सेक्टर-22 पचकुंला।
4. जिला कलेक्टर/उपायुक्त करनाल हरियाणा को इस आशय से प्रेषित की अपने स्तर से कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश की सीमा में तहसील नकुड़ के ग्राम ब्राहमण मजरा व धुधा मजरा में खनन कार्य को रोके जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

6. मै० चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा श्री सिद्धान्त रन्धावा पता-112, ग्राउण्ड फ्लोर, सन्तपुरा रोड, मॉडल टाउन यमुनानगर, हरियाणा को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।



नाम: फारूक

पिता/पति का नाम: असगर

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9758463836

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- तातारपुर खुर्दअह0जदीद , ग्राम पंचायत - नागल राजपूत , ब्लॉक - गंगोह , तहसील - नकुड़ , जिला - सहारनपुर , थाना - गंगोह ,

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

संदर्भ दिनांक: 06-03-2025

पूर्व सन्दर्भ संख्या(यदि है तो): ----

विभाग: खनिज

सन्दर्भ श्रेणी: घटिया निर्माण कार्य/गुणवत्ता में कमी / विलम्ब

स्रोत : जिलाधिकारी भ्रमण / चौपाल

प्रकृति: सामान्य

स्तर : सामान्य व्यक्ति

पद :

पता: राजस्व ग्राम- तातारपुर खुर्दअह0जदीद, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

प्रक्रियाधीन

क्र. स. कार	सन्दर्भ का प्र कार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	आख्या	जिलाधिकारी	06-03-2025	05-04-2025	खान अधिकारी -सहारनपुर, खनिज	जांच कर आख्या प्रेषित करें	अन मार्क

संख्या : 20013225003834

नाम: फारूक

पिता/पति का नाम: असगर

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9758463836

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- तातारपुर खुर्दअह0जदीद , ग्राम पंचायत - नागल राजपूत , ब्लाक - गंगोह , तहसील - नकुड़ , जिला - सहारनपुर , थाना - गंगोह ,

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का संक्षिप्त व्यौरा: कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

संदर्भ दिनांक: 06-03-2025

पूर्व सन्दर्भ संख्या(यदि है तो):

विभाग: खनिज

सन्दर्भ श्रेणी: घटिया निर्माण कार्य/गुणवत्ता में कमी / विलम्ब

स्रोत : जिलाधिकारी भ्रमण / चौपाल

प्रकृति: सामान्य

स्तर : सामान्य व्यक्ति

पद :

पता : राजस्व ग्राम- तातारपुर खुर्दअह0जदीद, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

पता: राजस्व ग्राम- तातारपुर खुर्दअह0जदीद, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

प्रक्रियाधीन

प्रक्रियाधीन दिनांक:

क्र. स. क्र.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	आख्या	जिलाधिकारी	06-03-2025	05-04-2025	खान अधिकारी -सहारनपुर,खनिज	कृपया संयुक्त जांच कर आख्या प्रेषित करें	अनमार्क

सेवा मे,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर।

प्रार्थना पत्र सं०

सन् 2024

फारुक पुत्र श्री असगर निवासी ग्राम ततारपुर खुर्द परगना गंगोह तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर।.....प्रार्थी

बनाम

1-किशन व 2-गुलदीप पुत्रगण नामालूम निवासीगण हरियाणा।...
.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते रोके जाने हेतु विपक्षीगण को अवैध रूप से खनन करने से प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बरान 5, 7, 40 व 41 जो कि ग्राम ततारपुर अहतमाल परगना गंगोह तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर मे स्थित है।

मिसे गुलदीप
श्रीमान जी,
विपक्षीगण का नाम
श्रीमान जी,

40
www
गरी वापिकारी (विपक्षीगण)
उसे विपक्षीगण
नकुड़ परगना

निवेदन है कि मैं प्रार्थी ग्राम ततारपुर खुर्द परगना गंगोह तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर का स्थायी निवासी है और खेती बाडी करके अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता चला आ रहा है जबकि विपक्षीगण हरियाणा प्रदेश के रहने वाले है और दबंग व झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो हर समय लड़ने झगडने पर उतारू रहते है।

यह कि मुझ प्रार्थी की ग्राम ततारपुर अहतमाल परगना गंगोह तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर के खसरा संख्या 5, 7, 40 व 41 काशत की भूमि है जो हरियाणा की सीमा पर लगती है विपक्षीगण अपनी भूमि से अवैध खनन कर रहा है और खनन करता हुआ प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 5, 7, 40 व 41 मे अवैध रूप से खनन कार्य करता हुआ धुस गया है जबकि विपक्षीगण का हमारी उक्त भूमि से कोई वास्ता मतलब किसी किस्म का

फारुक

2

नही है क्योंकि विपक्षीगण की भूमि हरियाणा प्रदेश में पड़ती है और प्रार्थी की भूमि उत्तर प्रदेश के ग्राम ततारपुर अहममाल परगना गंगोह तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर में पड़ती है परन्तु फिर भी विपक्षीगण मेरे खेत में अवैध रूप से खनन कर रहे हैं मैंने विपक्षीगण से कई बार कहा व कहलवाया कि तुम मेरे खेत में खनन क्या कर रहे हो तो उल्टा विपक्षीगण लड़ने झगड़ने व गाली गलोच करने पर उतारू हो जाते हैं और कहते हैं कि हम हरियाणा के हैं हम तेरे खेत से खनन करेंगे तुझ से जो होता हो कर ले इस प्रकार प्रार्थी की भूमि से अवैध खनन होने से प्रार्थी बहुत परेशान है इसलिये उक्त प्रकरण की जांच उपजिलाधिकारी महोदय नकुड़ से कराकर विपक्षीगण को प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 5, 7, 40 व 41 से अवैध रूप से खनन करने से रोका जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण की जांच उपजिलाधिकारी महोदय नकुड़ से कराकर विपक्षीगण को प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 5, 7, 40 व 41 से अवैध रूप से खनन करने से रोका जावे और विपक्षीगण के विरुद्ध अवैध खनन करने की बाबत कानूनी कार्यवाही अम्ल में लायी जावे। कृपा होगी।

दिनांक-25.02.2025

फारूक

प्रार्थी

फारूक पुत्र श्री असगर निवासी ग्राम
ततारपुर खुर्द परगना गंगोह
तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर।
मो0नं0-9758463836

नाम: फरमान

पिता/पति का नाम: फखरा

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9758660730

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- तातारपुर अहतमाल, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लॉक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - सहारनपुर, थाना - गंगोह,

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

संदर्भ दिनांक: 06-03-2025

पूर्व सन्दर्भ संख्या(यदि है तो): ----

विभाग: खनिज

सन्दर्भ श्रेणी: घटिया निर्माण कार्य/गुणवत्ता में कमी / विलम्ब

स्रोत : जिलाधिकारी भ्रमण / चौपाल

प्रकृति: सामान्य

स्तर : सामान्य व्यक्ति

पद :

पता: राजस्व ग्राम- तातारपुर अहतमाल, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

प्रक्रियाधीन

क्र. स. प्रकरण	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	आख्या	जिलाधिकारी	06-03-2025	05-04-2025	खान अधिकारी -सहारनपुर,खनिज	कृपया संयुक्त जांच कर आख्या प्रेषित करें	अनमार्क

नाम: फखरमान

पिता/पति का नाम: फखरा

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9758660730

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- तातारपुर अहतमाल , ग्राम पंचायत - नागल राजपूत , ब्लाक - गंगोह , तहसील - नकुड़ , जिला - सहारनपुर , थाना - गंगोह ,

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

संदर्भ दिनांक: 06-03-2025

पूर्व सन्दर्भ संख्या(यदि है तो): ----

विभाग: खनिज

सन्दर्भ श्रेणी: घटिया निर्माण कार्य/गुणवत्ता में कमी / विलम्ब

स्रोत : जिलाधिकारी भ्रमण / चौपाल

प्रकृति: सामान्य

स्तर : सामान्य व्यक्ति

पद :

पता : राजस्व ग्राम- तातारपुर अहतमाल, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

पता: राजस्व ग्राम- तातारपुर अहतमाल, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

प्रक्रियाधीन

क्र. स. कार	सन्दर्भ का प्र कार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	आख्या	जिलाधिकारी	06-03-2025	05-04-2025	खान अधिकारी -सहारनपुर,खनिज	जांच कर आख्या प्रेषित करें	अन मार्क

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय / खनन अधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

विषय:- अवैध खनन खसरा नं० 5, 7, 40 व 41 वाके ग्राम ततारपुर अहतमाल परगना गंगोह तहसील नकुड जिला सहारनपुर रूकवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम ततारपुर अहतमाल परगना गंगोह तहसील नकुड जिला सहारनपुर में खसरा नं० 5, 7, 40 व 41 में जबरदस्ती हरियाणा के लोग / खनन माफिया मंजीत व गुलदीप आदि अवैध खनन कर रहे हैं। प्रार्थी के द्वारा मौके पर विपक्षीगण को मना किया तो वह गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देने लगे प्रार्थी किसी तरह वहाँ से जान बचाकर निकल आया। जिन्हें तुरन्त रोका जाये और अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी न्यायहित में अति आवश्यक है।

Mine official

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण में तुरन्त कार्यवाही करते हुये खनन माफियाओं के विरुध मुकदमा कायम कराया जाये तथा अवैध खनन को तुरन्त रोका जावे। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक-24-2-2025

प्रार्थी (सहारा नं.)

4/3/25

जिलाधिकारी (खनन)
सहारनपुर

प्रार्थी परमान

फरमान पुत्र फखरा

निवासी ततारपुर परगना गंगोह

तहसील नकुड जिला सहारनपुर।

मो० नं०-9758660730

नाम: जोगिन्द्र पिता/पति का नाम: प्रेम आधार संख्या: ---
 मोबाइल न.1: 9758508404 मोबाइल न.2: ई-मेल आईडी: ---
 पता: ग्राम- नागल राजपूत , ग्राम पंचायत - नागल राजपूत , ब्लॉक - गंगोह , तहसील - नकुड़ , जिला - सहारनपुर आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: चकबन्धी श्रेणी 1की भूमि से अवैध खनन के विषय में

संदर्भ दिनांक: 19-03-2025

पूर्व सन्दर्भ संख्या(यदि है तो): ----

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवैध खनन

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

आवेदन की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

क्र. स. कार	सन्दर्भ का प्र कार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आ स्थि देश
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	19-03-2025	03-04-2025	खान निरीक्षक -सहारनपुर, खनिज	अन मार्क

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

दिनांक 16.03.2025

विषय:—ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-460 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रूकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

Joginder Kumar

जोगिन्द्र पुत्र प्रेम

ग्राम नागल राजपूत ,वि0क्षे0 गंगोह

जनपद-सहारनपुर।

मो0-9758508404

प्रतिलिपी-निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ -

1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।

कायत संख्या : 40013225007283

नाम: रेशमी

पिता/पति का नाम: सोम सिंह

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9627931097

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लॉक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - सहारनपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: चकबन्धी श्रेणी 1 की भूमि से अवैध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में

संदर्भ दिनांक: 17-03-2025

पूर्व सन्दर्भ संख्या(यदि है तो): ----

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवैध खनन

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

प्रक्रियाधीन

क्र. स. कार	सन्दर्भ का प्र. आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आ स्थिति देश
1	अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ	17-03-2025	01-04-2025	खान निरीक्षक -सहारनपुर, खनिज ⓘ	अन मार्क

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

दिनांक 16.03.2025

विषय:—ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-478 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रूकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी रेशमी

रेशमी पत्नि सोमसिंह
ग्राम नागल राजपूत ,वि0क्षे0 गंगोह
जनपद-सहारनपुर।
मो0-9627931097

प्रतिलिपी-निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ -
1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।

नियत संख्या: 40013225007285

नाम: सेंटी

पिता/पति का नाम: ईश्वर

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 8512805878

मोबाइल न.2: 9927402604

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लाक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - सहारनपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: चकबन्धी श्रेणी 1 की भूमि से अवैध खनन को रोके जाने के विषय में

संदर्भ दिनांक: 17-03-2025

पूर्व सन्दर्भ संख्या(यदि है तो): ----

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवैध खनन

स्रोत: ---

प्रकृति: ---

स्तर:

पद:

आवेदन/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

आवेदन का प्रकार:

प्रक्रियाधीन

क्र. सं. कार	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आ स्थिति देश
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	17-03-2025	01-04-2025	खान निरीक्षक -सहारनपुर, खनिज	अन मार्क

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

दिनांक 16.03.2025

विषय:—ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-493 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रूकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी
सेन्टी

सेन्टी, प्रदीप पुत्र ईश्वर
ग्राम नागल राजपूत, वि0क्षे0 गंगोह
जनपद-सहारनपुर।
मो0-9927402604

प्रतिलिपी-निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ -
1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।

सेन्टी

नाम: बाबू राम

पिता/पति का नाम: इंद्र

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9675514395

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लाक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - सहारनपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: चकबन्धी श्रेणी 1 की भूमि से अवेध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में

संदर्भ दिनांक: 17-03-2025

पूर्व सन्दर्भ संख्या(यदि है तो): ---

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवेध खनन

स्रोत: ---

प्रकृति: ---

स्तर:

पद:

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

प्रक्रियाधीन

क्र. स. कार	सन्दर्भ का प्र कार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आ स्थिति देश
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	17-03-2025	01-04-2025	खान निरीक्षक -सहारनपुर, खनिज ①	अन मार्क

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

दिनांक 16.03.2025

विषय:-ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-480 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रूकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

OVER THE LEFT



बाबू राम पुत्र इन्द्र
ग्राम नागल राजपूत, वि0क्षे0 गंगोह
जनपद-सहारनपुर।
मो0-9675514395

प्रतिलिपी-निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ -
1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।

का विवरण:

नाम: मोहित

पिता/पति का नाम: राजेंद्र

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 8941899293

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लाक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - स
हारनपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: भूमि से अवैध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध

संदर्भ दिनांक: 16-03-2025

पूर्व सन्दर्भ
संख्या(यदि है तो): ---

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवैध खनन

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र. स. क्र.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आ स्थिति देश
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	16-03-2025	31-03-2025	खान निरीक्षक -सहारनपुर, खनिज ⓘ	अन मार्क

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

दिनांक 16.03.2025

विषय:-ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-488 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रुकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

मोहित कुमार मूर्थी

मोहित रजत पुत्र राजेन्द्र सैनी
ग्राम नागल राजपूत ,वि0क्षे0 गंगोह
जनपद-सहारनपुर।

मो0-894899293

प्रतिलिपी-निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ -
1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।

40013225007174

आवेदक का विवरण:

नाम: राजकुमार

पिता/पति का नाम: सदाराम

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9719472399

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लाक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - स
हारनपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: चक्कन्धी श्रेणी 1 की भूमि से अवेध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध

संदर्भ दिनांक: 16-03-2025

पूर्व सन्दर्भ
संख्या(यदि है तो):

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवैध खनन

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र. स. प्रकार	सन्दर्भ का आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आ देश
1	अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ	16-03-2025	31-03-2025	खान निरीक्षक -सहारनपुर, खनिज 1	

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

दिनांक 16.03.2025

विषय:—ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-484 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रूकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

राजकुमार पुत्र सदाराम(पूर्व प्रधान)

ग्राम नागल राजपूत ,वि0क्षे0 गंगोह

जनपद-सहारनपुर।

मो0-9719472399

प्रतिलिपी-निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ -

1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।

40013225007166

पदक का विवरण:

नाम: चरण सिंह

पिता/पति का नाम: राम किशन

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 8006931968

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लाक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - स
हारनपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: चक्कम्भी श्रेणी 1 की भूमि से अवैध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में

संदर्भ दिनांक: 16-03-2025

पूर्व सन्दर्भ
संख्या(यदि है तो): ----

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवैध खनन

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र. स. प्रकार	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आ देश	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	16-03-2025	31-03-2025	खान निरीक्षक -सहारनपुर,खनिज		अन मार्क

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

दिनांक 16.03.2025

विषय:—ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-487 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रूकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

सुभाष, भोपाल, चरण सिंह,
भागमल, पुत्र रामकिशन
सुभम पुत्र बिसन
ग्राम नागल राजपूत, वि0क्षे0 गंगोह
जनपद-सहारनपुर।
मो0-8006931968

प्रतिलिपी-निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ -
1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।

श्री सुभाष सिंह
चरण सिंह
सुभम

भागमल निवृत्त

सुभाष सिंह
शुभाष सिंह

आवेदक का विवरण:

नाम: अर्जन सिंह

पिता/पति का नाम: कलि राम

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9759718223

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लॉक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - स
हारनपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: भूमि से अवेध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में

संदर्भ दिनांक: 16-03-2025

पूर्व सन्दर्भ
संख्या(यदि है तो): -----

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवैध खनन

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र. स. प्रकार	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आ देश
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	16-03-2025	31-03-2025	खान निरीक्षक -सहारनपुर, खनिज	1

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

दिनांक 14.03.2025

विषय:—ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-475 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रूकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

अर्जुन सिंह

प्रार्थी



अर्जुन सिंह पुत्र कलिराम
ग्राम नागल राजपूत ,वि0क्षे0 गंगोह
जनपद-सहारनपुर।
मो0-9759718223

प्रतिलिपी-निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ -
1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।

आवेदन का विवरण:

नाम: SUBHA RAM

पिता/पति का नाम: IMRAT

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9758702542

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लॉक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - स
हारनपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: CHAKBANDHI KI BHUMI SE AVEDH KHANAN KARNE KE SAMBANDH ME

संदर्भ दिनांक: 16-03-2025

पूर्व सन्दर्भ
संख्या(यदि है तो): ----

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवैध खनन

स्रोत: ---

प्रकृति: ---

स्तर:

पद:

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र. सं. प्रकरण	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	16-03-2025	31-03-2025	खान निरीक्षक -सहारनपुर, खनिज	1	अनमार्क

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

दिनांक 14.03.2025

विषय:-ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-481 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रूकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

सुभेराम पुत्र इमरत
ग्राम नागल राजपूत ,वि0क्षे0 गंगोह
जनपद-सहारनपुर।
मो0-9758702542

प्रतिलिपी-निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ -
1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।



सुभेराम LEFT

40013225007171

क का विवरण:

नाम: सहीराम

पिता/पति का नाम: दलमीरा

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 7900974167

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लॉक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - स
हारनपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: चक्कन्धी श्रेणी 1 की भूमि से अवैध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में

संदर्भ दिनांक: 16-03-2025

पूर्व सन्दर्भ
संख्या(यदि है तो):

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवैध खनन

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र. सं. प्रकार	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आ स्थिति देश
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	16-03-2025	31-03-2025	खान निरीक्षक -सहारनपुर, खनिज ⓘ	अन मार्क

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

दिनांक 16.03.2025

विषय:—ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-471 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रुकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

सहीराम

सहीराम पुत्र दलमीरा
ग्राम नागल राजपूत ,वि0क्षे0 गंगोह
जनपद-सहारनपुर।
मो0-7900974167

प्रतिलिपी-निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ -
1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।

: 40013225007162

क का विवरण:

नाम: मोहर सिंह

पिता/पति का नाम: रघुवीर

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 8006394680

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लाक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - स
हारनपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: चक्कन्धी श्रेणी 1 की भूमि से अवैध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध

संदर्भ दिनांक: 16-03-2025

पूर्व सन्दर्भ
संख्या(यदि है तो): ----

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवैध खनन

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र. स. प्रकार	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आ देश	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	16-03-2025	31-03-2025	खान निरीक्षक -सहारनपुर, खनिज 1	अन	मार्क

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

दिनांक 16.03.2025

विषय:—ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-500 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रूकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

शशी

रीता

प्रार्थी
मोहर सिंह
मोहर सिंह पुत्र रघुवीर
रीता देवी पत्नी राजेश्वर
इन्द्रा पत्नी संजय
शशि पत्नी श्रवण

ग्राम नागल राजपूत, वि0क्षे0 गंगोह
जनपद-सहारनपुर।
मो0-8006394680

इन्द्रा

प्रतिलिपी-निम्नांकित 'की सेवा में सादर सूचनार्थ -
1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।

10013225007163

दक का विवरण:

नाम: मुकेश कुमार

पिता/पति का नाम: जगदीश

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9536668176

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लाक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - स
हारनपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: चकबन्धी श्रेणी 1 की भूमि से अवेध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में

संदर्भ दिनांक: 16-03-2025

पूर्व सन्दर्भ
संख्या(यदि है तो):

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवेध खनन

स्रोत: ---

प्रकृति: ---

स्तर:

पद:

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण

क्र. सं. प्र. सं.	सन्दर्भ का प्रकार	अवेध देने वाले का नाम/पता	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	16-03-2025	31-03-2025	सान्निध्यिक - सहारनपुर, खनिज

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय,
सहारनपुर।

दिनांक 16.03.2025

विषय:-ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-467 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रूकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

मुकेश कुमार

सुशील, मुकेश पुत्र जगदीश

सोना पत्नि जगदीश

ग्राम नागल राजपूत ,वि0क्षे0 गंगोह

जनपद-सहारनपुर।

मो0-9536668176

प्रतिलिपी-निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ -
1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।



— मुकेश LEFT



— सोना RIGHT

रक का विवरण:

नाम: रोशन लाल

पिता/पति का नाम: मामचंद

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9761405687

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत - नागल राजपूत, ब्लाक - गंगोह, तहसील - नकुड़, जिला - स
हारनपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: चक्रवर्ती श्रेणी 1 की भूमि से अवेध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध

संदर्भ दिनांक: 16-03-2025

पूर्व सन्दर्भ
संख्या(यदि है तो):

विभाग: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: अवेध खनन

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता: राजस्व ग्राम- नागल राजपूत, ग्राम पंचायत- नागल राजपूत, विकास खण्ड- गंगोह, तहसील- नकुड़, जिला- सहारनपुर

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र. स. प्रकार	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आ स्थिति देश
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	16-03-2025	31-03-2025	खान निरीक्षक -सहारनपुर, खनिज 1	अन मार्क

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

सहारनपुर।

दिनांक 14.03.2025

विषय:-ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि है जोकि उ0प्र0 व हरियाणा राज्य की सीमा से मिलता हुआ है जिसमें हरियाणा की सीमा में खनन का कार्य चल रहा है जिसमें ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि के किसान है खनन के ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से चोरी-छिपे हमारी भूमि से खनन निकाल रहे है हमारी भूमि को बंजर बना दिया गया है उगी हुई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा नम्बर-499 ग्राम नागल राजपूत एवं ततारपुर खुर्द में चकबन्धी श्रेणी-1 की भूमि से हरियाणा राज्य के खनन ठेकेदार के द्वारा रात्री में जैइसिबी व पॉपलाईन मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य को रूकवाने का कष्ट करें। जिससे बची हुई भूमि को बंजर हाने से बचाया जा सके।

आपकी अति कृपा होगी।

Keshmal Jain
Nagla
प्रार्थी
15/3/25

रोशन लाल पुत्र मामचन्द
ग्राम नागल राजपूत, वि0क्षे0 गंगोह
जनपद-सहारनपुर।
मो0-9761405687

प्रतिलिपी-निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ -
1-माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, खनन उ0प्र, लखनऊ।

Office of Mining Officer, Mines & Geology Department, District Industrial Center,
Near Hali Park, Old Court Road, Panipat
(Email Id- miningpnp@gmail.com)

To be substituted bearing same no. & date

To,

The Sub Divisional Magistrate,
Indri, District Karnal.

Memo No.: Admn/ PNP/KNL/4087

Dated: 05.09.2025

Sub.:-

REPORT POST THE JOINT INSPECTION IN HON'BLE NGT
MATTER OA NO. 101 OF 2025 PARDEEP DAHIYA VERUS STATE
OF HARYANA AS PER ORDER DATED 04.04.2025.

In reference to your memo no. 4096 dated 25.08.2025 on the subject cited
above.

Enclosed please find herewith the requisite information as per available office
record is as under:-

Sr. No.	Name of Mines	Year	Number of routes alongwith the entry-exit	Number of routes along with the entry-exit points without weigh bridges(Karnal)	Number of cases registered regarding illegal mining (Karnal)	Amount of fine imposed and collected(Karnal)
1	M/s Chaudhary Transport Company Chandraon Garhpur Tapu Sand mining Block at village Chandraon, Garhpur Tapu & Kalsora, District Karnal	2021	Nil	Nil	Nil	Nil
		2022	Nil	Nil	Nil	Nil
		2023	Nil	Nil	Nil	Nil
		2024	03	Nil	Nil	Nil
		2025	03	Nil	Nil	Nil
2	M/s Chaudhary Transport Company Sand Mining Project at Nangal Block at village Nangla North, Nangal South, Tatarpur & Kamalpur Gadian, District Karnal	2021	Nil	Nil	Nil	Nil
		2022	Nil	Nil	Nil	Nil
		2023	Nil	Nil	Nil	Nil
		2024	Nil	Nil	Nil	Nil
		2025	01	Nil	Nil	Nil

As per the your office memo no- 609 dated 13.06.2025 Patwari & Mining Guard report no illegal mining found in the mining area (Joint inspection report attach) and Joint investigation report on dated 13.06.2025 attach herewith..In the last five year 49 vehicle have been caught for illegal mining/transportation of ordinary clay/Sand near this area and 25 FIR lodged against vehicle owner and Total fine Rs.1667960/- recovered in this area.

This is for your kind information and further necessary action please.

Vinay Sharma
Mining Officer,

Mines & Geology Department,
Panipat/Karnal

कार्मिक रिकार्ड अनुसार पिछले 5 वर्षों में उक्त क्षेत्र में
जो वाहन पकड़े गये/पुर्माणा / FIR दर्ज की गई उसमें
अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई है। खनन विभाग (पानीपत)
कमलपुर द्वारा कार्मिक रिकार्ड अनुसार अभी तक
M/s Chaudhary Transport Co. पर कोई भी पुर्माणा नहीं
लगाया गया है।
Drawing

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली, के ओ०ए० संख्या 11/2025 प्रदीप दाहिया बनाम डिपार्टमेंट ऑफ माईन्स एण्ड जियोलॉजी हरियाणा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के क्रम में गठित समिति को 02 खनन स्थलों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर प्रतिवादी द्वारा किये गये अवैध खनन एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 13.06.2025 को हरियाणा राज्य के करनाल जिले में मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्रों को स्थलीय निरीक्षण पट्टाधारक के मौके पर उपस्थित प्रतिनिधि श्री मंदीप सिंह की उपस्थिति में किया गया, जिसकी आख्या निम्नवत् है:-

1. मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी चन्द्रराव गढपुर टापर सैण्ड माईनिंग ब्लॉक चन्द्रराव गढपुर टापू एण्ड कलसोरा जिला करनाल हरियाणा:- दिनांक 13.06.2025 को समिति के सदस्यों द्वारा उक्त क्षेत्र में पहुँचकर पट्टा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ अपने स्थान में न मिले पाये गए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर सहमति पत्र (LOI) में प्रदर्शित जियो कॉर्डिनेट्स/सीमा स्तम्भ A1 व A3 के बाहर यमुना नदी (Upstream) की जलधारा में उपखनिज साधारण बालू का अवैध खनन किया गया है। उक्त अवैध खनन स्थल की पैमाईश की गई, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

ग्राम का नाम	जियो-कॉर्डिनेट्स		औसत गहराई (मी० में)	क्षेत्रफल (घ०मी० में)	मात्रा (घ०मी० में)	
चन्द्रराव	A	29° 53' 50.44" E	77° 11' 14.92" N	1.3	6926	9003.8
	B	29° 53' 48.45" E	77° 11' 13.90" N			
	C	29° 53' 47.99" E	77° 11' 11.55" N			
	D	29° 53' 45.37" E	77° 11' 12.23" N			
	E	29° 53' 48.03" E	77° 11' 15.71" N			

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर यमुना नदी की जल धारा में 6926 वर्गमीटर क्षेत्रफल में औसतन 1.30 मीटर गहराई से कुल 9003.80 घ०मी० उपखनिज का खनन अवैध तरीके से किया जाना पाया गया।

1. मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी सैण्ड माईनिंग प्रोजेक्ट नागल ब्लॉक ग्राम उत्तरी नागल, दक्षिणी नागल, ततारपुर एण्ड कमालपुर गडिया, जिला करनाल हरियाणा:- दिनांक 13.06.2025 को समिति के सदस्यों द्वारा उक्त क्षेत्र में पहुँचकर पट्टा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ अपने स्थान में न मिले पाये गए। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप दाहिया द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को प्रस्तुत ओरिजिनल एप्लीकेशन के बिन्दु संख्या 5 में पट्टाधारक द्वारा किये गये अवैध खनन एवं पट्टाधारक के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का संज्ञान लेते हुये, उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी अवैध तरीके से उपखनिज साधारण बालू का अवैध खनन किया गया है। इस प्रकार मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी सैण्ड माईनिंग प्रोजेक्ट नागल ब्लॉक ग्राम उत्तरी नागल, दक्षिणी नागल ततारपुर एण्ड कमालपुर गडिया जिला करनाल हरियाणा के विरुद्ध उनके द्वारा किये गये अवैध खनन की मात्रा (14,828 घ०मी०) के क्रम में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सही पाई गई, जिनके पश्चात् कार्यालय के पत्र संख्या 45/खनन/नोटिस-2025-26 दिनांक 04.04.2025 द्वारा मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी से अवैध खनन की मात्रा 14,828 घ०मी० के सापेक्ष जुर्मानास्वरूप धनराशि रू० 62,82,920/- का ड्राफ्ट जिलाधिकारी सहारनपुर के नाम से बनवकार उपलब्ध कराने हेतु जिला कलेक्टर/उपायुक्त करनाल, हरियाणा को पत्र प्रेषित किया गया। परन्तु मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा न तो उक्त धनराशि को उ०प्र० राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया गया और न ही उक्त धनराशि का ड्राफ्ट कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, जिस कारण कार्यालय के पत्र संख्या 780/ख०अनु०/अवैध खनन/2025-26 दिनांक 16.06.2025 द्वारा उक्त धनराशि को जमा कराने हेतु आदेश निर्गत किये गए।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नक:- 1. मौके के फोटोग्राफर।

2. सहमति पत्र (LOI) की छायाप्रति।

3. पूर्व की जांच रिपोर्ट दिनांक 29.03.2025 + प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति।

4. नोटिस की छायाप्रति।

प्रेषक

नायब तहसीलदार
इन्दी।

सेवा में

उपमण्डल अधिकारी (ना०),
इन्दी।

क्रमांक

/आ०सी०

दिनांक

विषय:-

Verification of Stock pilling at Ancillary area and mining
ativities within LOL Area- Nagal, Tatarpur, Kamalpur
Gadrian Mine

संदर्भ

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 534-536 / स्टैनो दिनांक 30.04.2025 की अनुपालना में गांव नागल, ततारपुर कमालपुर गडरियान मौका निरीक्षण किया गया मौका पर कानूनगो हल्का हाजिर पाया गया। मौका पर चौधरी ट्रासपोट कम्पनी रेत/शील्ड स्टॉक की जांच की जानी है। मौका पर निरीक्षण करने व राजस्व रिकार्ड अवलोकन करने उपरान्त पाया गया जो निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	गांव का नाम	जिन नम्बरान खसरा में रेत इकत्रित/स्टॉक किया गया है।	जिन नम्बरान में रेत की खुदाई चल रही है।
1	नागल नोरथ	43 // 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 स्टॉक किया हुआ है।	45 // 15-16-17-23-24-25 46 // 11-20-21 47 // 1-10 48 // 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 49 // 15-16
2	नागल साउथ	-----	59 // 15-16-24-25 60 // 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 61 // 11-12-18-19-20-21-22-23

		62 // 1-2-9-10-11 63 // 1-2-3-4-5-6-7-8-9-15 64 // 5
3	तरतारपुर	35 // 18-19-20-21-22-23-24-25 34 // 18-24-25 37 // 2-3-4-5-6-7-8-9 36 // 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 1-12-13
4	कमालपुर गडरियान	14 // 16-25 49 // 3/1-3/2-4-5-6-7-8-9/2 -11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-23-24-25 48 // 8-9-10-11-12-13-19-20-2 1-22-23-24 59 // 14-15-16-17-18-24-25 60 // 11-20-21 53 // 1-2-3-10-11-12-20-21 62 // 4-5-8 52 // 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20 -21-22-23-24-25 51 // 4-5-6-7-8-13-14-15-16-1 7-18-19/1-22-23-24-25 56 // 5-6-15-16-25 25 // 2-3-4-7-8-13-14-17-18-2 3-24 55 // 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 1-12-13-14-17-18-19-20-21-22 57 // 3-4-5-6-7 64 // 1

आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि ठेका क्षेत्र से बाहर कोई खनन कार्य ना है।
रिपोर्ट आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राजेश कानुनगो हल्का गढी बीरबल

संजीव गाड खनन विभाग

नायब तहसीलदार
इन्दी।
25/5/2023

प्रेषक

नायब तहसीलदार
इन्दी।

सेवा में

उपमण्डल अधिकारी (ना०),
इन्दी।

क्रमांक

/आर०सी०

दिनांक

विषय—

Verification of Stock pilling at Ancillary area and mining
activities within LOL Area-Chandrao, Garhpur, Kalsora,
Mine.

यादि

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 529/स्टैनों
दिनांक 28.04.2025 की अनुपालना में गाँव चन्द्राव, गढ़पुर टापु, कलसोरा तहसील इन्दी जिला
करनाल में मौका निरीक्षण किया गया मौका पर कानूनगो हल्का हाजिर पाया गया। मौका पर
गोधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी रेत/शील्ड स्टॉक की जाँच की जानी है। मौका पर निरीक्षण करने व
राजस्व रिकार्ड अवलोकन करने उपरान्त पाया गया जो निम्न प्रकार से है:-


क्र. सं.	गाँव का नाम	जिननम्बरान खसरा में रेत इजाजित/स्टॉक किया गया है।	जिननम्बरान में रेत की खुदाई चल रही है।
1	चन्द्राव	—	501 / / 6-14-15-16-17-23-24-25 502 / / 1-2-9-10-11 115 / / 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24
2	गढ़पुर टापु	21 / / 11-12-19-20-21-22 22 / / 13-14-15-16-17-18-23-24-25 स्टॉक किया हुआ है।	19 / / 19-22-23 20 / / 15-16-17-18-22-23-24-25 31 / / 6 / 1-14-15-16-17-18-22-23-24-25 32 / / 1 / 1-1 / 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 33 / / 1-2-8-9-10-11-12-19-20-21 38 / / 1 39 / / 18-19-20-21-22-23 40 / / 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-25 41 / / 5-6-14-15-16-17-24-25 47 / / 4-5-6-7-14-15-16-17-23-24-25 48 / / 1 / 1-1 / 2-3-4-5-8-9-10-11-12-13-19

	-20-21 62//1-10-11 63//3-4-5-6-7-15
42//1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 -13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 -24-25 स्टॉक किया हुआ है।	10//7-8-13-14-17-18-23-24-25 11//20-21 20//1-10-11-20-21-22 21//3-4-7-8-13-14-15-16-17-18-23-24-25 43//3-4-5-6-7-14-15-16-17-25 44//1-2-9-10-11-12-18-19-20-21-22-23-2 4 55//20-21-22 56//1-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21- 22-23-24-25 57//1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-14-15-16-17- 25 85//1-2-3-4-5-6-7-8-15

आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि ठेका क्षेत्र से बाहर कोई खनन कार्य ना है। रिपोर्ट आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



राजेश कानुनगो हल्का गढी बीरबल



संजीव गार्ड खनन विभाग

नायब तहसीलदार
इन्द्री।
6-5-2015

प्रेषक

उपमण्डल अधिकारी(ना०),
इन्द्री ।

प्रेषित

चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी,
सन्तपुरा रोड माडल टाउन
यमुनानगर ।

क्र० 609/12/2025 दिनांक 12-06-2025

विषय:- Verification of Stock Piling at Ancillary area and mining activities within LOI Area-
Chandrao, Garpur, Kalsora Mine.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आप द्वारा गाँव गढपुर, चन्द्राय, व कलसौरा में खनन/स्टाक तथा LOI Area के सम्बन्ध में जाँच करवाने बारे निवेदन किया था । इस निवेदन के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार इन्द्री, हल्का काननूगो इन्द्री तथा खनन विभाग(गार्ड) के कर्मचारी द्वारा मौका का निरीक्षण किया गया । मुताबिक रिपोर्ट चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के रेत/शील्ड स्टाक की जाँच की गई । उन्होने अपनी जाँच में बताया कि चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा अपने ठेका क्षेत्र से बाहर कोई भी खनन कार्य नहीं किया गया है।

मि-
उपमण्डल अधिकारी(ना०),
इन्द्री ।

प्रेषक

उपमण्डल अधिकारी(ना0),
इन्द्री ।

प्रेषित

चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी,
सन्तपुरा रोड माडल टाउन
यमुनानगर ।

क्रमांक 610

स्टैनो/ दिनांक 13-06-2025

विषय:-

Verification of Stock Piling at Ancillary area and mining activities within LOI Area-
Chandrao, Garpur, Kalsora Mine.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आप द्वारा गाँव नागल, ततारपुर, कमालपुर गडरियान में खनन/स तथा LOI Area के सम्बन्ध में जाँच करवाने बारे निवेदन किया था । इस निवेदन के सम्बन्ध में नायब तहसील इन्द्री, हल्का काननूगो इन्द्री तथा खनन विभाग(गार्ड) के कर्मचारी द्वारा मौका का निरीक्षण किया गया । मुता निरीक्षण रिपोर्ट चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के रेत/शील्ड स्टॉक की जाँच की गई । उन्होंने अपनी जाँच में बताया कि चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा अपने ठेका क्षेत्र से बाहर कोई भी खनन कार्य नहीं किया गया है।

सि.ए.

उपमण्डल अधिकारी(ना0)
इन्द्री ।



901

Annexure-VI

HSPCB Karnal Region <hspcbrokar@gmail.com>

Reply to Show Cause Notice for Closure issued vide Letter No. HSPCB/KAR/2025/3334 dated 14.07.2024.

1 message

Chaudhary transportcompany <chaudharytransportcompany01@gmail.com>
To: hspcbrokar@gmail.com

Fri, Aug 29, 2025 at 4:30 PM


Sir,

Please find the attached SCN reply from Chaudhary Transport Co. for your kind perusal.

Thanks & Regards

For Chaudhary Transport Co

2 attachments

 **Reply to RO HSPCB.pdf**
5468K

 **DocScanner 27 Aug 2025 17-39.pdf**
605K

CHAUDHARY TRANSPORTCO.

112, SANTPURA ROAD YAMUNA NAGAR HARYANA - 135001

To

The Regional Officer,
Haryana State Pollution Control Board,
Karnal, Haryana.

Subject: Reply to Show Cause Notice for Closure issued vide Letter No. HSPCB/KAR/2025/3334 dated 14.07.2024.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned Show Cause Notice, we respectfully submit our reply as under:

1. Applicability of Forest (Conservation) Act, 1980

The mining lease for **Nangal Block**, admeasuring **207.13 Acres / 82.85 hectares**, was duly allotted by the Department of Mines & Geology, Government of Haryana, for mining and ancillary purposes including storage, office, and related activities. It is categorically submitted that the said lease area does **not comprise any forest land**. Consequently, no Forest NOC is required, and the provisions of the **Forest (Conservation) Act, 1980** are not applicable. Hence, there is no violation of Environmental Clause **B5** in this case.

It is further submitted that your good office has already confirmed that no part of the lease area falls under Forest Area/Protected Forest, vide:

- **Nangal Mine - Permission dated 10/01/2023.**

Thus, the requirement of prior forest approval before grant of Environmental Clearance does not arise.

The Hon'ble Supreme Court in *Lafarge Umiam Mining Pvt. Ltd. v. Union of India [(2011) 7 SCC 338]* has categorically held that the FCA, 1980 applies only where forest land is diverted to a non-forest purpose, and that continuation of an existing use without additional felling of trees or impact on forest cover does not constitute diversion.

This principle has been reiterated in *T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India [(2006) 1 SCC 1]*, wherein it was clarified that the FCA, 1980 regulates diversion of forest land, and does not prohibit bona fide traditional or pre-existing uses which do not result in depletion of tree cover. Similarly, in *Centre for Environmental Law, WWF-India v. Union of India [(2013) 8 SCC 234]*, the Hon'ble Court emphasized that regulatory approval is mandatory only in cases of diversion or change of land use, and not for lawful continuance of existing activity.

Further, the Hon'ble National Green Tribunal in *Adivasi Majdoor Kisan Ekta Sangathan v. MoEFCC & Ors. [2014 SCC OnLine NGT 52]* held that mere use of road shoulders or traditional

passages for haulage, without fresh clearing or diversion, does not attract the provisions of the FCA, 1980.

In the instant case of **Chaudhary Transport Co.**, the usage is confined strictly to access and haulage along an existing PWD road shoulder, without any fresh diversion or exploitation of forest resources.

2. Land being claimed as Forest Land

The land referred to by the Forest Department is **not part of the mining lease area**. It pertains only to the **shoulder strip adjoining the Karnal-Yamuna Nagar PWD Road/other PWD roads**, which is being used exclusively for crossover movement of mineral-laden trucks between haul roads and the PWD road. No unauthorized tree felling or mining has ever been carried out in this area.

3. Comparable Access by Farmers and Public

It is respectfully submitted that adjoining farmers, business establishments, and residents of nearby villages have been regularly utilizing the PWD road shoulders for ingress and egress to their agricultural fields with tractors, trolleys, agricultural implements, and heavy machinery for business purposes. At no stage has the Forest Department objected to such usage. Our usage is identical in nature, confined solely to access, and not for any exploitative activity.

4. Repeated Applications for Forest Diversion Permission

Immediately after grant of Environmental Clearance, we initiated applications for diversion permission on the **Parivesh Portal**, evidencing our bona fide compliance intent. However, despite addressing all queries, the applications have either remained pending or were rejected without final closure.

Details of applications filed are as follows:

Date	Proposal No.	Area	Project Name	Location
31/08/2024	FP/HR/OTHERS/494849/2024	0.0057 Ha	Chaudhary Transport	Nangal

This file remained pending at Forest Headquarters until May 2025 and was ultimately rejected on 28.05.2025. Notably, mining operations commenced only in March 2025, i.e., much after submission of applications.

Subsequently, on directions from Forest Headquarters (June 2025) to consolidate all proposals into a composite application, we complied and filed:

Date	Proposal No.	Area	Project Name	Location
09/06/2025	FP/HR/OTHERS/540759/2025	0.0425 Ha	Chaudhary Transport	All Haul roads

This proposal was duly recommended by DFO, Karnal, but was rejected at Forest Headquarters. Resubmissions were made on 24/06/2025, 01/07/2025, and 26/08/2025 after addressing all objections. Despite repeated compliance, fresh queries continue to be raised without final disposal.

5. Discriminatory Treatment

It is respectfully pointed out that no mining lease holder in Karnal District—including Nabiabad, Kunda Kalan, and Dabar ki Par blocks—has been granted forest diversion permission for PWD road crossovers. Singling out **Chaudhary Transport Co.** for alleged violations is discriminatory, arbitrary, and unsustainable in law.

6. Conclusion

From the above, it is evident that:

- The allotted lease area does not involve any forest land; hence, the FCA, 1980 is inapplicable.
- The land being referred to is only a PWD road shoulder strip, used solely for crossover access, without tree felling or mining.
- We have made repeated, bona fide attempts to secure diversion permission, which have not been duly disposed of by the Forest Department.
- No other lease holder in the district has been granted such permission, establishing discriminatory treatment.

Accordingly, the allegations in the Show Cause Notice are misconceived, factually unsustainable, and untenable in law. It is, therefore, most humbly prayed that the proposed closure proceedings may kindly be dropped.

Yours faithfully,

For Chaudhary Transport Co.

For Choudhary Transport Co.

L. Datt
Authorised Signatory
Lokesh Datt

Authorised Signatory

List of annexure Attached:

Annexure -1 Application dtd 31.08.2024 and Parivesh Portal Timeline for application dtd 31.08.2024

Annexure-2 Application Dtd 09.06.2025 and Parivesh Portal Timeline for application dtd 09.06.2025 and resubmission 24.06.2025, 01.07.2025 and 26.08.2025

Form-A (Part-I): Diversion of Forest Land

Project Name	M/s Chaudhary Transport Company	Single Window Number	SW/205170/2024
State	HARYANA	Proposal Number	205170/2024
Submission Date	31/08/2024	Current Status	Pending at DFO for Scrutiny and Recommendation
		Area (in ha):	0.0057

Common Application Form

Project Details

1. Details of Project

1.1. Name of the Project	M/s Chaudhary Transport Company
1.2. Project Proposal For	New
1.3. Project ID (Single Window Number)	SW/205170/2024
1.4. Description of Project	Access Permission For M/s Chaudhary Transport Company Village- Naggal, Tehsil- Indri, Distt. - Karnal (HR)

2. Details of the Company/Organization/User Agency making application

2.1. Legal Status of the Company/Organization/User Agency	Trust/NGO/Partnership
2.2. Name of the Company/ Organization/User agency	CHAUDHARY TRANSPORT CO

Registered address

2.3. Address	I12,Ground Floor,Santpura Model Town,Yamuna Nagar ,Haryana
2.4. State	HARYANA
2.5. District	KARNAL
2.6. Pin Code	I3500I
2.7. E-mail address	chaudharytransport.ec@gmail.com
2.8. Mobile number	xxxxxx7943

3. Details of the person making application

3.1. Name	Mandeep singh
3.2. Designation	Authorised Signatory

Correspondence address

3.3. Address	I12,Ground Floor,Santpura Model Town,Yamuna Nagar ,Haryana
3.4. State	HARYANA
3.5. District	YAMUNANAGAR
3.6. Pin Code	I3500I
3.7. E-mail address	chaudharytransport.ec@gmail.com
3.8. Mobile number	xxxxxxI555

Project Location

4. Location of the Project or Activity

4.1. Upload KML	kmlq.kml
4.2. Whether the project/activity falling in the state/UT sharing international borders	NO

National borders

Shape of the Project

Location Details

Toposheet No	State/UT	District	Sub District	Village	Plot/Survey/Khasra No.
1143RI	HARYANA	Karnal	Indri	NAGAI	

Remarks

Access Permission For M/s Chaudhary Transport Company, Village- Naggat, Tehsil- Indri, Distt.- Karnal (HR).

6. Land Requirement (in Ha) of the project or activity**6.1. Nature of Land Involved**

6.2. Non-Forest Land [A] 5.3796

6.3. Forest Land [B] 0.0057

6.4. Total Land [A+B] 5.3853

Project Activity Cost**6. Project/Activity Cost**6.1. Total Cost of the Project at current price level (in Lakhs) 400
Amount in Words : Four Hundred Lakh(s) Only**7. Employment likely to be generated****7.1. During construction phase**

Permanent employment

7.1.1. No. of permanent employment (No.s) [A] 10

7.1.2. Period of employment (No. of days) [B] 30

7.1.3. No. of man-days $[X]=[A]*[B]$ 300

Temporary employment

7.1.4. Temporary / Contractual employment (No. of Man days) [Y] 10

7.1.5. Total $[X] + [Y]$ 310**7.2. During operational phase**

Permanent employment

7.2.1. No. of permanent employment (No.s) [A] 10

7.2.2. Period of employment (No. of days) [B] 30

7.2.3. No. of man-days $[X]=[A]*[B]$ 300

Temporary employment

7.2.4. Temporary / Contractual employment (No. of Man days) [Y] 10

7.2.5. Total $[X] + [Y]$ 310**Others**

8. Whether Rehabilitation and Resettlement (R&R) involved? NO

9. Whether project area involves shifting of watercourse/road/rail/Transmission line/water pipeline, etc. required? NO

10. Whether any alternative site(s) examined or part thereof for the non-site-specific component? Not applicable as the project or activity is site specific

11. Whether there is any Government Order or Policy/ Court order relevant or restricting to the site? NO

12. Whether there is any litigation pending against the project and/or land in which the project is proposed to be set up? NO

Or land in which the project is proposed to be set up?

3. Whether the proposal involves violation of Act/Rule/Regulation/Notification of Central/State Government?

NO

Form - A (Part - I) Diversion of Forest Land

Project Details

1. Forest Clearance

- 1.1. State HARYANA
1. Upload a copy of note containing justification for
2 locating the Project in forest land justification.pdf
- 1.3. Project Category Others (please specify)
Road Linking Railside/Road Side Amenities (Up to 01 Hectare)
- 1.4. Exempted Category
- 1.5. Is Related to Encroachment? No
- 1.6. Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinlyam, 1980 for diversion of forest land required for this project has been submitted in the past? No

Proposed Land

2. Underground Component NO
3. Details of Forestland proposed to be diverted (Village / Division / District Wise Breakup)
- 3.1. Total area of forestland proposed for diversion (ha.) 0.0057
- 3.2. Total area of non- forestland required for this project (ha.) 5.3796
- 3.3. Legal Status of forest land proposed for diversion
- | Area (ha) | Legal Status of Forest Land |
|-----------|-----------------------------|
| 0.0057 | Protected Forest |
- 3.3.1. Total Area (ha) 0.0057
- 3.4. Total period for which the forestland is proposed to be diverted (No. of years) 99

KML Details

Division Karnal Division

No. of Patches 6

KML 98537317_FC_KML_1725084707856_kmlq.kml

Location Details

Toposheet No.	District	Village	Range	Forest land proposed for diversion Area (ha)	Non Forest Land Area (ha)
H43R1	Karnal	NAGAL	Karnal	0.0057	5.3796

Patch Details

Patch/ Segment ID	Forest Area (ha)	Non-Forest Area (ha)	Remarks if any
1	0.0009	0.8966	

00009	08966
00009	08966
0001	08936
0001	08966
0001	08966

Remarks Details

Access Permission For M/s Chaudhary Transport Company, Village- Naggal, Tehsil- Indri, Distt -Karnal (HR)

Total Patch-wise Forest Land in the division (ha)

3.5. Total Forest Land Area (ha)	0 0057
3.6. Total Non Forest Land Area (ha)	5 3796

Total KML-wise Forest Land in the division (ha.)

3.7. Total Forest Land Area (ha)	0 0057
3.8. Total Non Forest Land Area (ha)	5 3796
3.9. Total Area (ha)	5 3853

4. Component Wise Break Up (including underground works such as tunnel and similar purpose)-If applicable

Component	Forest Land Proposed for Diversion (ha)	Non-forest Land (ha)
APPROACH ACCESS	0.0057	5 3796
5. Total Forest Land(ha)	0.0057	
6. Total Non Forest Land (ha)	5 3796	
7. Upload map of the forest land proposed to be diverted prepared by using DGPS or Total Station (pdf only)	dgps map.pdf	

Afforestation Details

7. Details of land identified for Compensatory Afforestation

7.1. Whether Compensatory Afforestation is applicable or not? Yes

7.1.1. Type of Compensatory Afforestation Degraded Forest Land

Others

8. Cost-Benefit analysis

8.1. Whether Cost-Benefit analysis for the Project has been made? N/A

9. Environmental clearance Details

9.1. Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 (Environmental clearance)? No

0.1. Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone?

No 909

Category Specific Details

11. Copy of Additional information, if any

S. No.	Document Name	Remark	Document
1	LEASE DEED-1	LEASE DEED-1	lease deed-1.pdf
2	LEASE DEED	LEASE DEED	lease deed.pdf
3	TOPO SHEET	TOPO SHEET	topo sheet.pdf
4	SAZRA	SAZRA	naggal sizra.pdf
5	KML FILE	KML FILE	kmlq.kml
6	Justification	Justification	justification.pdf
7	FRA CERTIFICATE	FRA CERTIFICATE	fra certificate.pdf
8	DGPS MAP	DGPS MAP	dgps map.pdf
9	CHECKLIST	CHECKLIST	checklist naggal.pdf
10	LAYOUT PLAN	LAYOUT PLAN	layout plan naggal.pdf

Undertaking

I hereby give undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to be best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information is found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance given if any to the project will be revoked at our risk and cost. In addition to the above, I hereby give undertaking that no activity/construction/expansion has been taken up

12. Name	Mandeep singh
13. Designation	Authorised Signatory
14. Company	CHAUDHARY TRANSPORT CO
15. Address	112,Ground Floor,Santpura Model Town,Yamuna Nagar ,Haryana
16. Date	31/08/2024

910

FP/HR/OTHERS/494849/2024

Proposal No:
Project Name:

M/s Chaudhary Transport Company

State:

HARYANA

Proposal Submission Date:

20/05/2025

Area(in Ha):

0.0057

S. No.	Activity	Activity Start date	Activity End date
1	Submitted	31/08/2024	31/08/2024
2	Processed by DFO for Scrutiny and Recommendation	31/08/2024	26/09/2024
3	Processed by UA due to EDS by DFO	26/09/2024	20/05/2025
4	Processed by DFO for Scrutiny and Recommendation	20/05/2025	28/05/2025
5	Pending at UA due to EDS by DFO	28/05/2025	N/A



PARIVESH

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India



Form-A (Part-I): Diversion of Forest Land



Project Name:

Chaudhary Transport Company

Single Window Number:

SW/250254/2025

Proposal Number:

FP/HR/OTHERS/540759/2025

State: HARYANA

Current Status:

Pending at DFO for Scrutiny and Recommendation

Submission Date:

09/06/2025

Area (in ha): 0.0576

Details of Project

1.1. Name of the Project	Chaudhary Transport Company
1.2. Project Proposal For	New
1.3 Project ID (Single Window Number)	SW/250254/2025
1.4. Description of Project	Access Permission For M/s Chaudhary Transport Company, Village- Matak Majri, Tehsil- Indri, Distt.- Karnal (HR).

2. Details of the Company/Organization/User Agency making application

2.1. Legal Status of the Company/Organization/User Agency	Trust/NGO/Partnership
2. Name of the Company/ 2. Organization/User agency	CHAUDHARY TRANSPORT CO

Registered address

2.3. Address	112,Ground Floor,Santpura Model Town,Yamuna Nagar ,Haryana
2.4. State	HARYANA
2.5. District	KARNAL
2.6. Pin Code	135001
2.7. E-mail address	chaudharytransport.ec@gmail.com
2.8. Mobile number	xxxxxx7943

Details of the person making application

3.1. Name Mandeep singh

3.2. Designation Authorised Signatory

Correspondence address

3.3. Address 112,Ground Floor,Santpura Model
Town,Yamuna Nagar ,Haryana

3.4. State HARYANA

3.5. District YAMUNANAGAR

3.6. Pin Code 135001

3.7. E-mail address chaudharytransport.ec@gmail.com

3.8. Mobile number xxxxxx8687

3:24 PM
 4. Location of the Project or Activity

4.1. Upload KML

kmlcombined.kml Preview

4.2. Whether the project/activity falling in the state/UT sharing international borders

NO

5. Shape of the Project

Linear

Location Details

Toposheet No	State/UT	District	Sub District	Village	Plot/Survey/Khasra No.
H43R1	HARYAN A	Karnal	Indri	GARHPUR TAPU	Document attached
H43R1	HARYAN A	Karnal	Indri	GARHI BIRBAL	Document attached
H43R1	HARYAN A	Karnal	Indri	KALSAURA	Document attached
H43R1	HARYAN A	Karnal	Indri	KHARAK	Document attached
H43R1	HARYAN A	Karnal	Indri	LABKARI	Document attached
H43R1	HARYAN A	Karnal	Indri	NAGAL	Document attached

Remarks

Access Permission For M/s Chaudhary Transport Company, Village- Matak Majri, Tehsil- Indri, Distt.- Karnal (HR).

Land Requirement (in Ha) of the project or activity**6.1. Nature of Land involved**

6.2. Non-Forest Land [A]	0
6.3. Forest Land [B]	0.0576
6.4. Total Land [A+B]	0.0576

6. Total Cost of the Project at current price level (in Lakhs) 500
 Amount in Words : Five Hundred Lakh(s) Only

7. Employment likely to be generated

7.1. During construction phase

Permanent employment

7.1. No. of permanent employment
 1. (No.s) [A] 20

7.1. Period of employment (No. of days) [B] 30

7.1.3. No. of man-days $[X] = [A] * [B]$ 600

Temporary employment

7.1.4. Temporary / Contractual employment (No. of Man days) [Y] 50

7.1.5. Total $[X] + [Y]$ 650

7.2. During operational phase

Permanent employment

7.2. No. of permanent employment
 1. (No.s) [A] 20

7.2. Period of employment (No. of days) [B] 30

7.2.3. No. of man-days $[X] = [A] * [B]$ 600

Temporary employment

7.2.4. Temporary / Contractual employment (No. of Man days) [Y] 50

7.2.5. Total $[X] + [Y]$ 650

Others

8. Whether Rehabilitation and Resettlement (R&R) involved?

NO

9. Whether project area involves shifting of watercourse/road/rail/Transmission line/water pipeline, etc. required?

NO

10. Whether any alternative site(s) examined or part thereof for the non-site-specific component?

Not applicable as the project or activity is site specific

11. Whether there is any Government Order or Policy/ Court order relevant or restricting to the site?

NO

12. Whether there is any litigation pending against the project and/or land in which the project is proposed to be set up?

NO

13. Whether the proposal involves violation of Act/Rule/Regulation/Notification of Central/State Government?

NO

Form-A (Part-I): Diversion of Forest Land

1. Forest Clearance

1.1. State

HARYANA

1 Upload a copy of note

. containing justification for

2 locating the Project in forest

. land

justification.pdf Preview

1.3. Project Category

Others (please specify)

1.4. Exempted Category

Road Linking Railside/Road Side
Amenities (Up to 0.1 Hectare)

1.5. Is Related to Encroachment?

No

1.6. Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of forest land required for this project has been submitted in the past?

No

2. Underground Component NO

3. Details of Forestland proposed to be diverted (Village / Division / District Wise Breakup)

Division

Karnal Division

No. of Patches

15

KML

129548408_FC_KML_
bined.kml Preview

Location Details

Toposheet No.	District	Village	Range	Forest land proposed for di
				Area (ha)
H43R1	Karnal	GARAH PUR TAPU	Karnal	0.0096
H43R1	Karnal	GARHI BIRBAL	Karnal	0.0096
H43R1	Karnal	KALSA URA	Karnal	0.0096
H43R1	Karnal	KHARA K	Karnal	0.0096
H43R1	Karnal	LABKA RI	Karnal	0.0096
H43R1	Karnal	NAGAL	Karnal	0.0096

Patch Details

Patch/ Segment ID	Forest Area (ha)	Non-Forest Area (ha)
1	0.0038	0
2	0.0038	0
3	0.0038	0
4	0.0038	0
5	0.0038	0
6	0.0038	0
7	0.0038	0
8	0.0038	0
9	0.0038	0
10	0.0039	0
11	0.0039	0
12	0.0039	0
13	0.0039	0
14	0.0039	0
15	0.0039	0

Remarks Details

Access Permission For M/s Chaudhary Transport Company, Village-
Distt.- Karnal (HR).

Total Patch-wise Forest Land in the division (ha)

3.5. Total Forest Land Area (ha) 0.0576

3.6. Total Non Forest Land Area (ha) 0.0000

Total KML-wise Forest Land in the division (ha.)

3.7. Total Forest Land Area (ha) 0.0576

3.8. Total Non Forest Land Area (ha) 0

3.9. Total Area (ha) 0.0576

4. Component Wise Break Up (Including underground works such as tunnel and similar purpose)-if applicable

Component	Forest Land Proposed for Diversion (ha)	Non-forest Land (ha)
Approach Access	0.0576	0

5. Total Forest Land(ha) 0.0576

6. Total Non Forest Land (ha) 0.0000

7. Upload map of the forest land proposed to be diverted prepared by using DGPS or Total Station (pdf only) [mapcombined.pdf Preview](#)

Afforestation Details

7. Details of land identified for Compensatory Afforestation

7.1. Whether Compensatory Afforestation is applicable or not? Yes

7.1.1. Type of Compensatory Afforestation Degraded Forest Land

Others

8. Cost-Benefit analysis

8.1. Whether Cost-Benefit analysis for the Project has been made? N/A

9. Environmental clearance Details

9.1. Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 (Environmental clearance)? No

10. Wildlife clearance Details

10.1. Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? No

Category Specific Details

N/A

S. No.	Document Name	Remark	Document
1	26H	26H	26h.pdf Preview
2	LOI Nangal Karnal	LOI Nangal Karnal	loi nangal karnal.pdf Preview
3	LOI Chandraon Karnal	LOI Chandraon Karnal	loi chandraon karnal.pdf Preview
4	HSPCB NANGAL	HSPCB NANGAL	hspcb nangal.pdf Preview
5	HSPCB CHANDRAON	HSPCB CHANDRAON	hspcb chandraon.pdf Preview
6	CLARIFICATION LETTER CHANDRAON BY DFO	CLARIFICATION LETTER CHANDRAON BY DFO	forest noc clarification chandraon.pdf Preview
7	CLARIFICATION LETTER BY DFO NANGAL	CLARIFICATION LETTER BY DFO NANGAL	clarification letter by dfo nangal.pdf Preview
8	APPROVED MINING PLAN NANGAL	APPROVED MINING PLAN NANGAL	approved mining plan nangal_compressed.pdf Preview
9	APPROVED MINING PLAN CHNDRAON	APPROVED MINING PLAN CHNDRAON	approved mining plan chndraon.pdf Preview
10	KML FILE	KML FILE	kmlcombined.kml Preview

24 PM

S. No.	Document Name	Remark	Document
11	DGPS MAP COMBINED ALL	DGPS MAP COMBINED ALL	mapcombined.pdf Preview
12	CHECKLIST	CHECKLIST	checklist.pdf Preview
13	TOPO SHEET	TOPO SHEET	topo sheet.pdf Preview
14	JUSTIFICATION	JUSTIFICATION	justification.pdf Preview
15	FRA	FRA	fra.pdf Preview
16	FCA	FCA	fca.pdf Preview
17	CHECKLIST NO.04	CHECKLIST NO.04	checklist no.04.pdf Preview
18	26G	26G	26g.pdf Preview
19	12A	12A	12a.pdf Preview
20	PWD NOC RD- 27.580 (RHS)- LETTER	PWD NOC RD- 27.580 (RHS)- LETTER	rd- 27.580 (rhs)- letter.pdf Preview
21	PWD NOC RD- 24.470 (RHS)- LETTER	PWD NOCRD- 24.470 (RHS)- LETTER	rd- 24.470 (rhs)- letter.pdf Preview
22	PWD NOC RD- 24.470 (LHS)- LETTER	PWD NOC RD- 24.470 (LHS)- LETTER	rd- 24.470 (lhs)- letter.pdf Preview
23	PWD NOC RD- 21.207 (RHS)- LETTER	PWD NOC RD- 21.207 (RHS)- LETTER	rd- 21.207 (rhs)- letter.pdf Preview

24 PM

5. No.	Document Name	Remark	Document
24	PWD NOC RD- 10.677 (RHS)- LETTER	PWD NOC RD- 10.677 (RHS)- LETTER	rd- 10.677 (rhs)- letter.pdf Preview
25	PWD NOC RD- 3.592 (RHS)- LETTER	PWD NOC RD- 3.592 (RHS)- LETTER	rd- 3.592 (rhs)- letter.pdf Preview
26	PWD NOC RD- 0.380 (RHS)- LETTER	PWD NOC RD- 0.380 (RHS)- LETTER	rd- 0.380 (rhs)- letter.pdf Preview
27	PWD NOC RD- 0.044 (RHS)- LETTER	PWD NOC RD- 0.044 (RHS)- LETTER	rd- 0.044 (rhs)- letter.pdf Preview
28	PWD NOC RD- 0.044 (LHS)- LETTER	PWD NOC RD- 0.044 (LHS)- LETTER	rd- 0.044 (lhs)- letter.pdf Preview
29	PWD NOC RD- 27.580 (RHS)	PWD NOC RD- 27.580 (RHS)	rd- 27.580 (rhs)- drawing.pdf Preview
30	PWD NOC RD- 24.470 (RHS)	PWD NOC RD- 24.470 (RHS)	rd- 24.470 (rhs)- drawing.pdf Preview
31	PWD NOC RD- 24.470 (LHS)	PWD NOC RD- 24.470 (LHS)	rd- 24.470 (lhs)- drawing.pdf Preview
32	PWD NOC RD- 21.207 (RHS)	PWD NOC RD- 21.207 (RHS)	rd- 21.207 (rhs)- drawing.pdf Preview
33	PWD NOC RD- 10.677 (RHS)	PWD NOC RD- 10.677 (RHS)	rd- 10.677 (rhs)- drawng.pdf Preview

5.
No.

S. No.	Document Name	Remark	Document
34	PWD NOC RD-3.592 (RHS)	PWD NOC RD-3.592 (RHS)	rd- 3.592 (rhs)-drawing.pdf Preview
35	PWD NOC RD-0.380 (RHS)	PWD NOC RD-0.380 (RHS)	rd- 0.380 (rhs)-drawing.pdf Preview
36	PWD NOC RD-0.044 (RHS)	PWD NOC RD-0.044 (RHS)	rd- 0.044 (rhs)-drawing.pdf Preview
37	PWD NOC DRG. RD-0.044 (LHS)	PWD NOC DRG. RD- 0.044 (LHS)	rd- 0.044 (lhs)-drawing.pdf Preview
38	FOREST AREA CALCULATION	FOREST AREA CALCULATION	forest area calculation.pdf Preview
39	MAP-13	MAP-13	map-13.pdf Preview
40	MAP-12	MAP-12	map-12.pdf Preview
41	MAP-11	MAP-11	map-11.pdf Preview
42	MAP-9,10	MAP-9,10	map-9,10.pdf Preview
43	MAP-8	MAP-8	map-8.pdf Preview
44	MAP-7	MAP-7	map-7.pdf Preview
45	MAP-6	MAP-6	map-6.pdf Preview
46	MAP-5	MAP-5	map-5.pdf Preview
47	MAP-4	MAP-4	map-4.pdf Preview
48	MAP-3	MAP-3	map-3.pdf Preview
49	MAP-2	MAP-2	map-2.pdf Preview

S. No.	Document Name	Remark	Document
50	Map-1	Map-1	map-1.pdf Preview

Undertaking

I hereby give undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to be best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information is found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance given if any to the project will be revoked at our risk and cost. In addition to the above, I hereby give undertaking that no activity/construction/expansion has been taken up

12. Name	Mandeep singh
13. Designation	Authorised Signatory
14. Company	CHAUDHARY TRANSPORT CO
15. Address	112,Ground Floor,Santpura Model Town,Yamuna Nagar ,Haryana
16. Date	09/06/2025

Proposal History/Timeline

Start Date - End Date

27/08/2025-N/A



Pending at DFO due to EDS by Nodal Officer

27/08/2025

N/A

Start Date

End Date

Processed by UA due to EDS by DFO

27/08/2025-27/08/2025



Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer

26/08/2025-27/08/2025



Processed by UA due to EDS by DFO

26/08/2025-26/08/2025



Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer

26/08/2025-26/08/2025



Processed by UA due to EDS by DFO

26/08/2025-26/08/2025



Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer

26/08/2025-26/08/2025



Processed by UA due to EDS by DFO

19/08/2025-26/08/2025



Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer

19/08/2025-19/08/2025



Processed by Nodal Officer for Recommendation

13/08/2025-19/08/2025



Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer

02/08/2025-13/08/2025



Processed by UA due to EDS by DFO

30/07/2025-02/08/2025



Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer

02/08/2025-13/08/2025



Processed by UA due to EDS by DFO

30/07/2025-02/08/2025



Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer

29/07/2025-30/07/2025



Processed by Nodal Officer for Recommendation

10/07/2025-29/07/2025



Processed by DFO for Scrutiny and Recommendation

01/07/2025-10/07/2025



Submitted

09/06/2025-01/07/2025



Processed by UA due to EDS by DFO

24/06/2025-01/07/2025



Processed by DFO for Scrutiny and Recommendation

24/06/2025-24/06/2025



Processed by UA due to EDS by DFO

23/06/2025-24/06/2025



Processed by DFO for Scrutiny and Recommendation

20/06/2025-23/06/2025



Processed by UA due to EDS by DFO

18/06/2025-20/06/2025



Processed by DFO for Scrutiny and Recommendation

09/06/2025-18/06/2025



Submitted

09/06/2025-09/06/2025





हरियाणा पुलिस

पुलिस चौकी ब्याना, थाना इन्द्री, जिला करनाल

सूचना पत्र / NOTICE

क्रमांक : 3706-Regd

दिनांक : 18.08.2025

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि परिवादी वन मण्डल अधिकारी, कार्यालय वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय) जिला करनाल, वन विभाग, हरियाणा सरकार, से शिकायत संख्या 3706-Regd -दिनांक 18.08.2025 प्राप्त हुई है। (प्रतिलिपि संलग्न है)।

इसलिए आप उत्तरवादी M/s Chaudhary Transport Company व M/s Darsh Minerals Private Limited जिला करनाल को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 29/08/2025 को पुलिस चौकी ब्याना थाना इन्द्री जिला करनाल, मे समय 10.00 A.M. पर प्रारम्भिक जाँच मे सभी प्रासांगिक दस्तावेजों, सबूतों और सामग्री के साथ व्यक्तिगत रूप से या आपका कोई प्रतिनिधि (प्राधिकार पत्र सहित) शामिल हों।

शिकायत की जाँच के सम्बन्ध मे यदि आप अपनी उपस्थिति विडियो कांन्फ्रेंस के माध्यम से चाहते हैं तो पुलिस चौकी ब्याना थाना इन्द्री जिला करनाल की ई. मेल. rohit1984.pol@hry.gov.in अपना लिखित निवेदन दिनांक 28/08/2025 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

इस नोटिस के सम्बन्ध मे आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह अंतिम नोटिस केवल शिकायत की जाँच के सम्बन्ध मे जारी किया गया है। अभी तक आपके विरुद्ध कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। शिकायत की जांच के दौरान आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस नोटिस का अनुपालन करने में विफलता की सूरत में कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

संलग्न:- शिकायत की प्रति।



प्रभारी पुलिस चौकी ब्याना

नाम व पद: रोहित, Sub Inspector

दिनांक : 27/08/2025

मोबाईल: 87086-61694

Divisional Forest Officer (T), Karnal
Forest Department, Haryana

Forest Complex, Near Railway Station, Karnal, Tel./ Fax:0184-2241417, E-mail :dfokarnal@yahoo.co.in

No. :FCA/1423

Date : 14.07.2025

To,

The Regional Officer,
Regional Office, Karnal Region,
Haryana State Pollution Control Board.
2nd Floor, SCO-78-79,
above Punjab National Bank,
Namastey Chowk, Karnal

Subject:- Reports post the joint Inspection in Hon'ble NGT Matter O.A No. 101 of 2025 as per Order dated 04.04.2025.

Ref:- In continuation of this office letter no. FCA/1371 dated 10.07.2025.

This is to bring to your kind notice that during field inspections conducted by the Forest Department, unauthorized use of forest land has been observed in connection with the approach access to the mining site operated by M/s Chaudhary Transport Company at Chandraon-Garhpur Tapu Block and Naggal Block, District Karnal. The said usage has been made without obtaining prior approval under the Forest (Conservation) Act, 1980, which is mandatory for undertaking any non-forestry activity on forest land. Accordingly, Forest Offense Reports bearing numbers 33/316 to 36/316 and 59/312(Copy enclosed) have been registered and notices have been issued. Legal proceedings shall be initiated after the demarcation.

A joint inspection was conducted at the site in compliance with the orders of the Hon'ble National Green Tribunal, which was attended by the Director, Ministry of Environment, Forest & Climate Change; SDM Nakur (U.P.); SDM Indri; Mining Officers of Karnal and Saharanpur; and the Range Forest Officer, Indri. During the inspection, the violation of the Forest (Conservation) Act, 1980 was brought to the notice of all concerned officers on site.

Further, it is to mention that M/s Chaudhary Transport Company has applied for diversion of forest land for non-forestry purposes through Parivesh portal (proposal no. FP/HR/OTHERS/540759/2025); however, the approval of the competent authority is still pending. Hence, any activity conducted on forest land prior to such approval is in direct violation of the Act.

Moreover, the Environmental Clearance granted to the project (EC ID No. EC24B001HR130852 dated 10.05.2024) clearly stipulates under Statutory Compliance Clause B5 that the clearance shall become operational only after receiving formal Forest Clearance under the Forest (Conservation) Act, 1980. As such, operations undertaken without the said clearance constitute a violation of EC conditions.

It is hereby requested that necessary action may kindly be taken against the violation of Environmental Clearance clause B5 in accordance with the provisions.

Enclosures:

1. Copy of Forest Offense Reports No. 33/316 to 36/316 and 59/312.


Divisional Forest Officer(T)
Karnal.

Endst. to:-

Copy of the above forwarded to Conservator of Forests, Central Circle, Rohtak for information.

935

Divisional Forest Officer (T), Karnal
Forest Department, Haryana

Forest Complex, Near Railway Station, Karnal, Tel./ Fax:0184-2241417, E-mail :dfokarnal@yahoo.co.in

No. :FCA/ 1904

Date : 19-09-2025

To,

The Regional Officer,
Regional Office, Karnal Region,
Haryana State Pollution Control Board.
2nd Floor, SCO-78-79,
above Punjab National Bank,
Namastey Chowk, Karnal

Subject:- Current Status of Proposal No. FP/HR/OTHERS/540759/2025 belongs to
(M/s Chaudhary Transport Co.)

This is to bring to your kind information that the application submitted by M/s Chaudhary Transport Co. through www.parivesh.nic.in portal on 01.07.2025 (Proposal No. FP/HR/OTHERS/540759/2025 regarding the access permission request for diversion of (0.0428 ha.) of forest land, We processed their application on 10.07.2025 and now the proposal has been forwarded for in-principal approval to State Secretary for recommendation through Add. Principal Chief Conservator of Forest- Cum-m Nodal Officer(FCA), Haryana, Panchkula on 17.09.2025(as per attached Annexure).

Divisional Forest Officer(T)
Karnal

Endst. to:- 1905

Copy of the above forwarded to Conservator of Forests, Central Circle, Rohtak for information.

Divisional Forest Officer(T)
Karnal

19/9/25

Proposal Timeline

Proposal No: FP/HR/OTHERS/540759/2025

Project Name: Chaudhary Transport Company

State: HARYANA

Proposal Submission Date: 01/07/2025

Area(in Ha): 0.0428

S. No.	Activity	Activity Start date	Activity End date
1	Submitted	09/06/2025	09/06/2025
2	Processed by DFO for Scrutiny and Recommendation	09/06/2025	18/06/2025
3	Processed by UA due to EDS by DFO	18/06/2025	20/06/2025
4	Processed by DFO for Scrutiny and Recommendation	20/06/2025	23/06/2025
5	Processed by UA due to EDS by DFO	23/06/2025	24/06/2025
6	Processed by DFO for Scrutiny and Recommendation	24/06/2025	24/06/2025
7	Processed by UA due to EDS by DFO	24/06/2025	01/07/2025
8	Submitted	09/06/2025	01/07/2025
9	Processed by DFO for Scrutiny and Recommendation	01/07/2025	10/07/2025
10	Processed by Nodal Officer for Recommendation	10/07/2025	29/07/2025
11	Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer	29/07/2025	30/07/2025
12	Processed by UA due to EDS by DFO	30/07/2025	02/08/2025
13	Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer	02/08/2025	13/08/2025
14	Processed by Nodal Officer for Recommendation	13/08/2025	19/08/2025
15	Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer	19/08/2025	19/08/2025
16	Processed by UA due to EDS by DFO	19/08/2025	26/08/2025
17	Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer	26/08/2025	26/08/2025
18	Processed by UA due to EDS by DFO	26/08/2025	26/08/2025



S. No.	Activity	Activity Start date	Activity End date
19	Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer	26/08/2025	26/08/2025
20	Processed by UA due to EDS by DFO	26/08/2025	26/08/2025
21	Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer	26/08/2025	27/08/2025
22	Processed by UA due to EDS by DFO	27/08/2025	27/08/2025
23	Processed by DFO due to EDS by Nodal Officer	27/08/2025	05/09/2025
24	Processed by Nodal Officer for Recommendation	05/09/2025	17/09/2025
25	Pending at State Secretary for Recommendation	17/09/2025	N/A